www.dhyeyaias.com

सितम्बर 2020 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र
वैश्विक प्रशासन की आवश्यकता

2 डिजिटल शिक्षा में डिजिटल डिवाइड : समस्या और समाधान

3 भारत–चीन के बीच पाँच–सूत्रीय समझौता : एक अवलोकन

4 क्वॉड का सैन्यीकरण : चुनौतियाँ और समाधान

5 गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की विदेश नीति

6 स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट : एक परिचय

7 भारत में अपशिष्ट समस्या एवं उसका प्रबंधन

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल
सितम्बर 2020 | अंक 04

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न — 01–15

- बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र : वैश्विक प्रशासन की आवश्यकता
- डिजिटल शिक्षा में डिजिटल डिवाइड : समस्या और समाधान
- भारत-चीन के बीच पाँच-सूत्रीय समझौता : एक अवलोकन
- क्वॉड का सैन्यीकरण : चुनौतियाँ और समाधान
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की विदेश नीति
- स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट : एक परिचय
- भारत में अपशिष्ट समस्या एवं उसका प्रबंधन

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स — 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) — 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें — 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) — 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) — 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) — 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र : वैश्विक प्रशासन की आवश्यकता

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी के दौरान भी विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों व निजी कम्पनियों (यथा-स्पेस एक्स आदि) ने बाह्य अंतरिक्ष (Outer Space) में कई अभियान भेजे हैं।

परिचय

- बाह्य अंतरिक्ष को मानव उपयोग में लाने तथा इसके बारे में और अधिक पता लगाने के लिए, पिछले काफी लम्बे समय से विभिन्न देशों की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां प्रयासरत हैं।
- शीत युद्ध के दौरान बाह्य अंतरिक्ष में अन्वेषण की प्रतिद्वंदिता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में देखने को मिलती थी। उस समय सोवियत संघ ने जहाँ 'स्पूतनिक' (Sputnik) अभियान भेजा तो वहीं अमेरिका ने 'अपोलो-11' अभियान भेजा।
- लेकिन अब अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कई शक्तियाँ मजबूती के साथ उभरकर सामने आयी हैं, यथा-चीन, भारत, जापान, फ्रांस आदि। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष क्षेत्र के दोहन हेतु कई निजी कम्पनियाँ भी सामने आयी हैं, यथा- स्पेस-एक्स (Space-X), अमेजन आदि।

कोविड-19 महामारी के दरम्यान प्रमुख अंतरिक्ष अभियान

- कोविड-19 महामारी के दौरान भी अंतरिक्ष गतिविधियाँ अनवरत रूप से जारी रहीं। विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों व निजी कम्पनियों ने बाह्य अंतरिक्ष में अपने कई अभियान भेजे हैं।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपने-अपने मार्श मिशन (Mars Mission) भेजे हैं।
- अरब क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी प्रगति की है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी हाल ही में मार्श आर्बिटर मिशन भेजा है।
- कोविड-19 महामारी के दरम्यान ही चीन ने अपने बेइदू नेविगेशन सिस्टम को पूर्ण किया है।
- अमेरिका के स्पेस कमांड (Space Command) का कहना है कि रूस ने हाल ही में अंतरिक्ष आधारित एंटी-सैटेलाइट हथियार (Space based anti-satellite weapon) का परीक्षण किया है।
- 'स्पेस एक्स' कम्पनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में भेजे गये दो अंतरिक्ष यात्री अगस्त, 2020 को सुरक्षित वापस लौट आये हैं। दरअसल नासा (NASA) ने निजी कम्पनी 'स्पेस-एक्स' के रॉकेट (फॉल्कन-9) से दो अंतरिक्ष यात्रियों को आईएएसस भेजा था। यह दुनिया की प्रथम 'वाणिज्यक अंतरिक्ष यात्रा' थी।

अंतरिक्ष उद्योग की वृद्धि (Space Industry Growth)

- वर्तमान में स्पेस इंडस्ट्री (अंतरिक्ष उद्योग) काफी तेजी से फल-फूल रहा है। आज निम्न-भू कक्षा (Low Earth Orbit-LEO) में सैटेलाइट को भेजना काफी सस्ता हो गया है। स्पेस-एक्स जैसी निजी कम्पनियाँ एलईओ में सैटेलाइट को भेजने हेतु लगभग 2770 डॉलर प्रति किलोग्राम का मूल्य निर्धारित करती हैं।
- आज मानव के अंतरिक्ष पर्यटन के सिद्धांत ने भी जोर पकड़ा है। इसके लिए कई एजेंसियाँ सुविधा उत्पन्न करा रही हैं या इसकी ओर अग्रसर हैं।
- बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि वर्तमान में बाह्य अंतरिक्ष मार्केट लगभग 350 बिलियन डॉलर की है जिसके 2050 तक 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

- विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग ने जिस तर्ज पर अपनी उन्नति की है, उसी तर्ज पर अंतरिक्ष उद्योग भी उन्नति कर सकता है। सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रारंभिक दिनों में एप्पल ने निजी ऐप डेवलपर्स (App Developers) को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐप स्टोर (Store) करने की अनुमति दी थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में बूम आया था और फिर गूगल (गूगल प्ले स्टोर) आदि ने भी इस ओर अपने कदम बढ़ाये।
- 'स्पेस-एक्स' कम्पनी की स्टारलिंक (Starlink) परियोजना है, जिसमें वह छोटे-छोटे लगभग 10 हजार सैटेलाइट को 'निम्न भू कक्षा' में लॉन्च करेगी ताकि पूरे विश्व में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार से अमेजन का भी 'प्रोजेक्ट कूपिअर' (Project Kuiper) है जिसके तहत यह कम्पनी लगभग 3000 माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करेगी।
- स्पेस-एक्स और अमेजन के अतिरिक्त, अंतरिक्ष क्षेत्र में अन्य भी महत्वपूर्ण निजी कम्पनियाँ हैं, यथा- प्लेनेट (Planet), स्पायर ग्लोबल (Spire Global), आइसी (Iceye) आदि। ये कम्पनियाँ आर्बिटल वेन्टेज प्वाइंट (Orbital Vantage Points) का इस्तेमाल करके आँकड़ों को एकत्र व विश्लेषित कर रही हैं ताकि मौसम पूर्वानुमान, वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक, फसल हार्वेस्टिंग, आपदा प्रबंधन आदि को सुदृढ़ किया जा सके।

बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में चुनौतियाँ

- अभी बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में लोकतांत्रिक भावना देखने को मिलती है अर्थात यहाँ सभी देशों का बराबर हक है और किसी एक देश या समूह का प्रभुत्व नहीं है। जिस देश के पास तकनीक है, वह बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र का दोहन करता है (बिना किसी हस्तक्षेप के)। किन्तु अब धीरे-धीरे बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र भी भीड़-भाड़ युक्त (Crowded) होता जा रहा है अर्थात् यहाँ अब अधिक संख्या में सैटेलाइट लॉन्च किये जा रहे हैं। सघन होते अंतरिक्ष क्षेत्र के रेगुलेशन व गवर्नेंस हेतु बहुपक्षीय फ्रेमवर्क (Multilateral Framework) पुराना है, जो एक चिंता का विषय है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र को विनियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1960 व 1970 के दशक के कई कानून एवं संधियाँ हैं, उदाहरणस्वरूप 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि आदि। अब इन कानून व संधियों के प्रावधान अप्रासंगिक हो चले हैं।
- 1979 की चंद्रमा संधि (Moon Treaty) को अभी तक बड़ी-बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों (अर्थात् देशों) ने अनुमोदित नहीं किया है, जो इसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून या संधि नहीं है जो बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित विवादों के लिए एक 'विवाद निवारण मैकेनिज्म' उपलब्ध कराती हो। यदि कोई देश ने गलती से या जानबूझकर किसी अन्य देश के सैटेलाइट को नष्ट कर दिया तो इसका समाधान कैसे किया जायेगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समाधान तंत्र नहीं है।
- अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लीगल फ्रेमवर्क बने थे वो विभिन्न देशों की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों को ध्यान में रखकर बनाये गये थे किन्तु अब इस क्षेत्र में बहुत सी निजी कम्पनियाँ भी आ गयी हैं।
- विभिन्न देशों द्वारा अंतरिक्ष का सैन्यीकरण भी किया जा रहा है अर्थात् वह अपनी सैन्य गतिविधियों को संचालित करने हेतु अंतरिक्ष उपयोग कर रहे हैं, जो भविष्य में अंतरिक्ष का युद्ध को जन्म दे सकता है।

बाह्य अंतरिक्ष और भारत

- भारत की स्पेस एजेंसी 'इसरो' ने पिछले कुछ समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में भावी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसरो ने चन्द्रयान व मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को लॉन्च किया है।
- भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश में निजी कम्पनियों को बढ़ावा देने हेतु 'इन-स्पेस' (IN-SPACe, Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) संस्था का गठन किया है। यह संस्था अंतरिक्ष विभाग (भारत सरकार) के अंतर्गत कार्य करती है।
- भारत निम्नलिखित भावी अभियानों को आगे चलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में लॉन्च करेगा-
  - चन्द्रयान-3 के तहत लैंडर को भेजा जायेगा
  - प्रथम अंतरिक्ष मानव मिशन (स्वदेशी)
  - 2050 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन
  - लेकिन भारत में भी अभी तक स्पेस क्षेत्र को रेगुलेट करने हेतु कोई व्यापक कानून या नीति नहीं है।

आगे की राह

- वर्तमान में बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के गवर्नेंस हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधि की नितांत आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में भविष्य में किसी भी प्रकार के संघर्ष को टाला जा सके।
- भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास हेतु न सिर्फ देश में ही व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए।
- बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र का शांतिपूर्ण उपयोग पूरी मानवता की भलाई हेतु होना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स,नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

प्र. पिछले कुछ समय से वैश्विक स्तर पर देखने में आया है कि बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियाँ काफी बढ़ी हैं। बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों के साथ-साथ इसके भावी उपयोग हेतु रणनीति पर भी चर्चा करें।

02 डिजिटल शिक्षा में डिजिटल डिवाइड : समस्या और समाधान

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisation-NSO) ने भारत में डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

परिचय

- भारत में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित घरेलू सामाजिक उपभोग (Household Social Consumption) का सर्वेक्षण जुलाई 2017 से जून 2018 तक आयोजित राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) के 75 वें दौर का हिस्सा था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है।
- इस रिपोर्ट में भारत में डिजिटल डिवाइड की स्थिति के संबंध में कई महत्वपूर्ण आंकड़े दिये गए हैं।
- एनएसओ की इस हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में विभिन्न राज्यों, शहरों और गांवों तथा विभिन्न आय समूहों में डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) काफी अधिक है।

एनएसओ की रिपोर्ट की मुख्य बातें

- रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में, दस में से केवल एक घर में एक कंप्यूटर (डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट) है।
- भारत के सभी घरों में से लगभग एक चौथाई घरों में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो एक निश्चित (fixed) या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस की जाती हैं ।
- भारत के इन इंटरनेट-सक्षम घरों (Internet-enabled homes) में से अधिकांश घर शहरों में ही स्थित हैं। जहां शहरों के कुल घरों में से 42% घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कुल घरों में से केवल 15% ही घर इंटरनेट से जुड़े हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग होता है, यहाँ लगभग 55% घरों में इंटरनेट की सुविधाएं हैं। दिल्ली के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश और केरल ही ऐसे राज्य हैं जहाँ आधे से अधिक घरों में इंटरनेट है।
- इंटरनेट के मामले में ओडिशा की स्थिति काफी चिंताजनक है, यहाँ दस घरों में से केवल एक में ही इंटरनेट है।
- 20% से कम इंटरनेट की पहुंच वाले दस अन्य राज्य हैं, जिनमें कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे सॉफ्टवेयर हब शामिल हैं।
- एनएसओ ने रिपोर्ट में बताया है कि देश में डिजिटल डिवाइड का सर्वप्रमुख कारक आर्थिक स्थिति है।
- राष्ट्रीय स्तर पर केरल राज्य में सबसे कम डिजिटल डिवाइड की स्थिति दिखती है जबकि असम में यह सबसे अधिक है।
- एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि 5 वर्ष से अधिक आयु के 20% भारतीयों में बुनियादी डिजिटल साक्षरता है, जबकि 15 से 29 वर्ष के महत्वपूर्ण आयु समूह में यह 40% है।

डिजिटल डिवाइड

- इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभाव के संबंध में आर्थिक और सामाजिक असमानता को 'डिजिटल डिवाइड' की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट व अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभाव के संबंध में आर्थिक और सामाजिक असमानता को दर्शाता है।
- सामान्यतया 'डिजिटल डिवाइड', इंटरनेट व संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है।

भारत में डिजिटल डिवाइड के कारण

- देश के विभिन्न क्षेत्रों में टेली घनत्व (अर्थात टेलीकॉम सुविधाओं का घनत्व) में भारी अंतर है जो कि बड़े पैमाने पर डिजिटल डिवाइड का कारण बनाता है।
- कुछ पूर्वी राज्यों के मामले में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का रुख अनुकूल नहीं है। इसके अलग-अलग कारण हैं। इसमें बिजली की उपलब्धता जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव तथा व्यापार अवसरों को लेकर उदासीनता भी है।
- भारत के दूर-दराज इलाकों में आज भी इलेक्ट्रिसिटी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा डिजिटल डिवाइड का प्रमुख कारण है, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में मोबाइल, कंप्यूटर आदि जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टेलीकॉम कंपनियाँ भी यहाँ निवेश नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें अपेक्षित संख्या में ग्राहक नहीं मिल पाते हैं।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टीविटी काफी कमजोर स्थिति में है।
- जैसा कि एनएसओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न वर्गों में आय की असमानता ने भी भारत में डिजिटल डिवाइड को बढ़ाया है। गरीबों में इंटरनेट के उपयोग की स्थिति काफी चिंताजनक है। उनके पास मोबाइल , कंप्यूटर आदि जैसे इलेक्ट्रानिक संसाधनों का भारी अभाव है। कम आय वाले लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही चला जाता है। वे प्रौद्योगिकी को एक विलासिता के रूप में देखते हैं।
- भारत में लैंगिक असमानता ने भी डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ आज भी लड़कियों या महिलाओं को लड़कों या पुरुषों की तरह डिजिटल संसाधनों के उपयोग की स्वतन्त्रता नहीं है।
- शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता का डिजिटल डिवाइड पर काफी प्रभाव रहता है। भारत में अभी भी शिक्षा की स्थिति काफी कमजोर हालत में है, जो डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रही है।
- भारत में शिक्षा की गुणवत्ता काफी खस्ताहाल में है, यहाँ अभी भी परंपरागत पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाता है, जिसमें डिजिटल शिक्षा का अभाव रहता है। इस प्रकार डिजिटल साक्षरता की कमी भी डिजिटल डिवाइड को बढ़ा रही है।
- भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढाँचे और शिक्षकों आदि की कमी है।
- भारत में आज भी इंटरनेट या इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग अँग्रेजी भाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा में सुनिश्चित नहीं हो पाया है, जो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित लोगों में इंटरनेट के उपयोग को सीमित करता है।

- भारत की भौगोलिक स्थिति भी डिजिटल डिवाइड में अपनी भूमिका अदा करती है। पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में डिजिटल ढाँचा को बनाना अपेक्षाकृत आसान है।

डिजिटल डिवाइड के प्रभाव

- एक तरफ जहां शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता का डिजिटल डिवाइड को बढ़ती है तो वहीं किसी समाज में डिजिटल डिवाइड के होने पर वहाँ का शिक्षा क्षेत्र काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार शिक्षा और डिजिटल डिवाइड दोनों ही एक-दूसरे को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं।
- वर्तमान में पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। इस स्थिति में कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन भारत में डिजिटल डिवाइड की स्थिति अधिक होने के कारण ज्यादातर विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है।
- कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने जहां उन कंपनियों व दूकानदारों की बिक्री में इजाफा किया जो डिजिटल रूप से सशक्त थे। लेकिन वहीं डिजिटल रूप से अक्षम एवं रेहड़ी-पटरी वाले दूकानदारों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है।
- डिजिटल डिवाइड किसी देश में व्यवसाय को भी प्रभावित करता है। डिजिटल डिवाइड के कारण ई-बिजनेस कंपनियाँ (यथा-अमेजन आदि), टेलीकॉम कंपनियाँ एवं अन्य ऐसी कंपनियाँ जिनका व्यापार ऑनलाइन माध्यमों पर अधिक निर्भर होता है, वो निवेश नहीं करती हैं।
- डिजिटल डिवाइड लोगों के बीच सूचनाओं के पहुँच की असमानता को भी बढ़ाता है। डिजिटल डिवाइड के कारण ग्रामीण भारत आवश्यक सूचना की कमी का सामना कर रहा है, जो कि गरीबी, अभाव और पिछड़ेपन के दुष्चक्र को और मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक असमानता को भी बढ़ाता है। आज समाज को डिजिटल आधार पर भी विभाजित किया जा रहा है।
- भारत में डिजिटल डिवाइड ने 'डिजिटल इंडिया मिशन' को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आज सरकार, गवर्नेंस हेतु डिजिटल माध्यमों पर अधिक जोर दे रही है, ताकि इसमे पारदर्शिता, जवाबदेहिता, तेजी आदि को लाया जा सके । ऐसे में यदि देश में डिजिटल डिवाइड की स्थिति बनी रही तो गवर्नेंस भी प्रभावित होगा।

डिजिटल डिवाइड को कम करने हेतु भारत सरकार के प्रयास

- **भारतनेट कार्यक्रम:** भारतनेट कार्यक्रम या परियोजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ व हाईस्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इसके तहत अब तक 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिये जोड़ा जा चुका है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM):** राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत हाल ही में हुई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के प्रत्येक घर में कम-से-कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018:** इस नीति का उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस की गति से यूनिवर्सल सुलभ व हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है। इसके अतिरिक्त , इस नीति में यह भी लक्ष्य है कि एक राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण को गठित करके राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020:** इसमें भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने हेतु भारतीय शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक बदलावों के लक्ष्यों को रखा गया है।

आगे की राह

- आज डिजिटलीकरण मानव जीवन के लगभग हर पक्ष को प्रभावित कर रहा है। इस वैश्वीकरण के युग ने साबित किया है कि डिजिटल सशक्तिकरण किसी भी देश के चौमुखी विकास हेतु अति आवश्यक है। अतः भारत में सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हेतु सरकार एवं अन्य हितधारकों को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

प्र. डिजिटल डिवाइड से क्या तात्पर्य है? भारत में डिजिटल डिवाइड के विभिन्न कारणों की चर्चा करने के साथ-साथ इसके प्रभावों का भी उल्लेख करें।

03 भारत-चीन के बीच पाँच-सूत्रीय समझौता : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control-LAC) पर तनाव के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है। पिछले 5 महीने से जारी एलएसी विवाद के बीच ये एक अहम बैठक थी, जिसमें भारत और चीन ने गतिरोध को दूर करने के लिए सुरक्षा बलों को पीछे हटने और तनाव को कम करने के लिए पांच सूत्रीय समझौते पर सहमति जताई है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एलएसी पर जैसे हालात हैं, उसके हिसाब से नरमी के संकेत दोनों ही ओर से मिलते नहीं दिख रहे हैं।

पांच सूत्रीय समझौता

- दोनों देशों ने इस मुलाकात के बाद निम्नलिखित पांच बिंदुओं का एक साझा बयान जारी किया है।

1. दोनों देशों को अपने नेताओं के मार्गदर्शन में चलकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और मतभेद को विवाद में नहीं बदलना चाहिए।
2. दोनों नेताओं ने माना कि सीमा को लेकर मौजूदा स्थिति दोनों पक्षों के हित में नहीं है। दोनों पक्ष की सेनाओं को बातचीत जारी रखनी चाहिए, जल्द से जल्द डिस्इनगेज करना चाहिए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए।
3. भारत-चीन सीमा के इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने और सीमा मामलों को लेकर दोनों पक्ष सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और तनाव बढ़ाने जैसी कोई कार्रवाई न की जाए।
4. भारत-चीन मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच स्पेशल रिप्रेजेन्टेटिव मेकेनिज्म के जरिए बातचीत जारी रखी जाए। साथ ही सीमा मामलों में कन्सल्टेशन और कोऑर्डिनेशन पर वर्किंग मेकेनिज्म के तहत भी बातचीत जारी रखी जाएगी।

5. जैसे-जैसे तनाव कम होगा दोनों पक्षों को सीमा इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए आपस में भरोसा बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

पांच सूत्रीय समझौते का अवलोकन

- वर्ष 1993 के समझौते के तहत दोनों देशों द्वारा LAC पर सेना की उपस्थिति को कम-से-कम करने और शांति तथा स्थिरता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की गई थी। किन्तु चीन के मुखर और आक्रामक व्यवहार के कारण ही मतभेद आज विवाद बन गए हैं। ऐसे में, इस बात की क्या गारंटी है कि चीन भविष्य में अपना व्यवहार बदल ही लेगा। समझौते के मुताबिक, द्विपक्षीय बातचीत जारी रखी जाएगी, सीमा पर तनाव कम किया जाएगा, एक-दूसरे देशों के सैनिकों की उचित दूरी बनाई जाएगी आदि। मगर यह सब भी इतना आसान नहीं दिख रहा है। खासतौर से सैनिकों की उचित दूरी बनाने पर भले ही चीन ने सहमति जताई हो, लेकिन उसकी फौज इसका उल्लंघन करती रही है।
- साफ है, चीन को अपनी कथनी और करनी का फर्क मिटाना होगा, तभी इस सहमति का कोई अर्थ निकल सकेगा। दोनों देश 'स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म' के जरिए बातचीत करेंगे। इसके अलावा, सीमा से जुड़े सवालों के हल के लिए कंसल्टेशन व को-ऑर्डिनेशन पर वर्किंग मैकेनिज्म के जरिए भी बातचीत की जाएगी। इस तरह की वार्ताएं पहले भी होती रही हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत अपने यहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और चीन के स्टेट काउंसलर की कई बैठकें हो चुकी हैं। अच्छी बात है कि इसे आगे भी जारी रखने पर दोनों पक्ष राजी हुए हैं। मगर इसमें भी एक पेंच यह है कि जब तक दोनों पक्षों में सीमा-निर्धारण पर निर्णायक सहमति नहीं बन जाती, सीमा संबंधी सवालों पर इस तरह की व्यवस्था बहुत कारगर साबित नहीं होगी।
- पूर्व में विश्वास बहाली के तमाम रास्ते अपनाए गए, जिनका चीन उल्लंघन करता रहा है। विश्वास बहाली के नए उपायों से हम पर अधिक पाबंदी लगाई जा सकती है और रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण जिन पहाड़ियों पर हमने कब्जा किया है, उनको छोड़ने का दबाव बनाया जा सकता है। यहां यह देखना भी लाजिमी है कि चीन की मंशा साझा सहमति पत्र जारी होने के बाद उसके द्वारा जारी बयान से जाहिर होती है। इस बयान में कहा गया है कि उसने भारत को साफ-साफ कहा है कि सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाइयां उसे बंद कर देनी चाहिए। ऐसे में, यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह सहमति लंबे समय तक प्रभावी रहेगी?
- दरअसल, कई ऐसे अहम सवाल हैं, जिनका जवाब यह साझा बयान नहीं देता। जैसे, फौज की उचित दूरी किस तरह कायम रखी जाएगी, क्योंकि जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब बढ़ी, तभी भारत ने भी मजबूरन

अपने हिस्से की उन पहाड़ियों पर कब्जा किया, जो सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण हैं और पूर्व के समझौतों के तहत कोई देश उन पर अपने सैनिक तैनात नहीं कर सकता है। इसी तरह, अतिरिक्त फौज कब, कैसे और कितनी दूर वापस लौटेगी? इसका जिक्र भी साझा बयान में नहीं है। सवाल यह भी है कि जिन पहाड़ियों पर भारत ने फिर से कब्जा हासिल कर लिया है, क्या उन्हें छोड़ दिया जाएगा? साफ है, आगे की बातचीत में काफी माथापच्ची होने वाली है और साझा सहमति का बने रहना मुश्किल हो सकता है।

- जमीनी स्तर पर देखा जाए तो चीन की सेना अधिक सैनिकों को एकत्र कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, अब पैंगोंग झील के उत्तर की ओर फिंगर-3 क्षेत्र के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक एकत्र हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त भारत के दक्षिण की ओर से कुछ सामरिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, चीनी सेना उत्तर दिशा में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही है।

चीन के रवैये में बदलाव का कारण

- एलएसी पर भारत तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है जिससे चीन को प्रतीत हो रहा है कि उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। लद्दाख में पिछले वर्ष भारत ने 255 किलोमीटर लंबी जो सड़क बनाई है, उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस सड़क के जरिए मौजूदा टकराव वाली गलवान घाटी तक पहुंचने का रास्ता भी है।
- कोरोना वायरस को लेकर अपारदर्शिता और दुनिया को इसके बारे में देरी से चेतावनी देने के कारण दुनिया के ज्यादातर देश विशेषकर पश्चिमी देश चीन पर हमलावर हैं। इस कारण कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव है। अमेरिका ने तो साफ कर दिया है कि जब तक चीन कोरोना वायरस को लेकर जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करता, तब तक चीन के साथ रिश्ते सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने कोरोना के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जांच का समर्थन किया था। इस कारण भारत की सीमा पर तनाव पैदा करके चीन संदेश देना चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन के खिलाफ जाने से पहले भारत को इसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। जानकारों का मानना है कि लिपुलेख दर्रा को लेकर नेपाल के अप्रत्याशित विरोध के पीछे भी चीन को माना जा रहा है और इस सबके जरिए वह भारत को संदेश जाना चाहता है कि वह उसके पड़ोस में समस्याएं पैदा कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त चीन हांगकांग में हो रहे प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को हवा दे रहा है। पूरी दुनिया में ताईवान के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। हालांकि चीन ताईवान को अपना हिस्सा मानता है और वो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे चुका है, लेकिन अब पूरी दुनिया धीरे धीरे ताइवान का समर्थन कर रही है और चीन के लिए ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विफलता है। चीन गंभीर सवालों से खूबसूरत शब्दों की आड़ में बचना चाहता है।
- चीन के आक्रामक रुख का अन्य कारण घर के अंदर पैदा होता असंतोष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई भी सरकार या नेता अपने देश में खुद को घिरता हुआ पाता है तो अन्य देशों के साथ तनाव या संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है। ऐसा करके उसका मकसद देश में राष्ट्रवाद की हवा पैदा करना और इसके जरिए उसकी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना होता है।
- भारत की सीमा पर दृढ़ प्रतिक्रिया के कारण चीन अपने उद्देश्यों को न तो राजनीतिक न ही सैन्य रूप से हासिल कर पाया है। इसके बावजूद शी जिनपिंग 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (COC) के शताब्दी समारोह और 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी के पंचवर्षीय आयोजन के दौरान विस्तारवादी नीति पर अपनी उपलब्धियों में इजाफा करना चाहते हैं।

आगे की राह

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की जमीनी तस्वीर अब काफी बदल चुकी है। इसलिए हमें सीमांकन के लिए चीन पर दबाव बनाना चाहिए। उसके अड़ियल रुख के कारण ही अब तक दोनों देश भौगोलिक सीमा तय नहीं कर सके हैं। फौज सीमा विवाद का हल नहीं निकाल सकती। 'स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म' के जरिए जो बातचीत होगी, उसमें हमारा इसी पर जोर रहना चाहिए।
- हम चीन का भरोसा नहीं कर सकते। साझा बयान से भ्रमित होकर हमें यह सोचकर शांत नहीं हो जाना चाहिए कि समस्याओं का अब अंत हो गया है। चीन ने करीब चार डिवीजन के बराबर सैनिक सीमा पर भेज रखे हैं। वे बैरकों में जल्दी नहीं लौटने वाले। इसी तरह, भारत ने भी लगभग 40,000 सैनिकों को वहां तैनात किया है। ये सर्दियों में भी वहां रहने की तैयारी कर रहे हैं, जब तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चीन की धोखेबाजी को देखते हुए हम अपनी फौज वापस बुला भी नहीं सकते। साफ है कि हमें लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना होगा।
- भारत को न केवल लद्दाख में, बल्कि एलएसी की पूरी लंबाई में अपनी सक्रिय मुद्रा जारी रखनी चाहिए। भारत सरकार को अप्रैल 2020 की स्थिति पर जोर देना चाहिए और चीन को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों से ही सुलझाया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए पांच-सूत्रीय समझौते पर सहमति हुई है । इस समझौते का विश्लेषण करें।

04 क्वॉड का सैन्यीकरण : चुनौतियाँ और समाधान

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि क्वॉड (Quad) ग्रुप में क्षमता है कि वह हिन्द महासागर, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य महासागरीय क्षेत्र में नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता (freedom of navigation operation) सुनिश्चित करने हेतु मिलकर ऑपरेट (operate) कर सकता है।

परिचय

- भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के इस बयान से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या भारत हिन्द महासागर, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और अन्य महासागरीय क्षेत्र में क्वॉड (Quad) ग्रुप के दूसरे देशों (अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया) के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग (joint petroling) कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो क्वॉड (Quad) ग्रुप का सैन्यीकरण (Militarisation) का रास्ता प्रशस्त होगा।
- भारत परंपरागत रूप से हिन्द महासागर और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी तरह के सैन्यीकरण को लेकर उत्साहित नहीं रहा है। इसीलिए भारत क्वॉड ग्रुप के सैन्यीकरण को भी नकारता रहा है। भारत, हिन्द महासागर क्षेत्र में भी बड़ी मुश्किल से ही किसी देश के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग (joint petroling) हेतु राजी होता है। क्योंकि भारत का मानना है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में किसी अन्य देश की उपस्थिति से भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव कम हो सकता है। हालांकि हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर हिन्द महासागर में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी। भारत, मालाबार सैन्य अभ्यास में अभी तक ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने हेतु राजी नहीं हुआ है।

क्वॉड (Quad)

- 'क्वॉड' दरअसल चार देशों- भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन देशों ने हाथ मिलाया है। गौरतलब है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Area) कहते हैं। वर्तमान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44 प्रतिशत है।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर भले ही 'क्वॉड' को लेकर कुछ कहा जाये लेकिन व्यावहारिक तौर पर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को रोकने के लिए ये लोकतान्त्रिक देश एक साथ आए हैं।
- दरअसल भूतपूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू-राजनैतिक और भू-रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर 2007 में भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्त्ताओं के साथ मिलकर रणीनतिक वार्ता के रूप में 'क्वॉड' नामक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी।
- लेकिन किन्हीं कारणवश वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आ गया, जिसके परिणामस्वरूप 'क्वॉड' का सिद्धान्त शिथिल पड़ गया था।
- वर्ष 2017 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर 'क्वॉड' को फिर से पुनर्जीवित किया था।
- क्वॉड का चीन के अलावा रूस भी विरोध करता है।
- आसियान के कुछ देश 'क्वॉड' का खुलकर समर्थन करते हैं, जबकि अन्य देश चीन को नाराज नहीं करने की नीति को अपनाते हुए 'क्वॉड' के बारे में सधी प्रतिक्रिया देते हैं।
- क्वॉड का उद्देश्य नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान, समुद्री क्षेत्र में शांति व सुरक्षा, परमाणु अप्रसार आदि मुद्दों पर बल प्रदान करना है।
- भारत ने समुद्र में आने-जाने की आजादी के सिद्धांत पर जोर देकर, समुद्र के अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान कर और चारों देशों के साझा विचार के साथ तालमेल बैठाकर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है।

क्वॉड के सैन्यीकरण को लेकर भारत की रणनीति

- भारत ने क्वॉड के सैन्यीकरण को लेकर परंपरागत रूप से अरूचि ही दिखाई है और कई मौकों पर तो क्वॉड के सैन्यीकरण के मुद्दे पर विरोध भी दर्ज कराया है।
- भारत का कहना है कि क्वॉड का उपयोग असैनिक या नागरिक मुद्दों के लिये होना चाहिये।
- वर्ष 2018 में शांग्रिला डायलॉग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को एक भौगोलिक सिद्धांत (Geographical Concept) प्रदान करता है, न कि यह कुछ देशों की विशेष रणनीति पर बल प्रदान करता है। कुल-मिलाकर भारतीय प्रधानमंत्री का इशारा क्वॉड की तरफ था , जिसे भारत सहित कुछ देशों ने मिलाकर एक विशेष रणनीति के तहत बनाया है।
- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वरीयता ना देने का यह मतलब नहीं है कि भारत किसी अन्य संगठन का हिस्सा बनेगा। एस जयशंकर का भी इशारा क्वॉड की ही तरफ था।

क्वॉड के सैन्यीकरण से भारत को लाभ

- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर जिस प्रकार का तनाव बना हुआ है , उसे देखते हुए भारत को क्वॉड के सैन्यीकरण की तरफ बढ़ाना चाहिए।
- ऐसा भी देखा जा रहा है कि भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन लद्दाख में उस क्षेत्र को छोड़ने को राजी नहीं हो रहा है, जहां पहले दोनों देशों की सेनाएँ पेट्रोलिंग करती थीं। यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच बफर जोन का कार्य करता था। कई बैठकों के बावजूद अभी तक सीमा विवाद का हल नहीं निकल पाया है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन पर दबाव बनाने हेतु भारत को क्वॉड पर फोकस करना चाहिये।
- विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि क्वॉड के सैन्यीकरण से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नेविगशन सुनिश्चित होगा और इस क्षेत्र की सुरक्षा में भी इजाफा होगा। क्योंकि क्वॉड ग्रुप के सदस्य देशों का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- क्वॉड के सैन्यीकरण से भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा होगा और भारत को इस ग्रुप के माध्यम से सैन्य क्षेत्र में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस क्वॉड ग्रुप अमेरिका जैसी अत्याधुनिक शक्ति शामिल है।
- कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि क्वॉड को 'एशिया का नाटो' बना दिया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि क्वॉड में शामिल सभी देश अगर साथ आ जाएं तो चीनी ड्रैगन को आसानी से काबू में किया जा सकता है।

चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति

- क्वॉड के सैन्यीकरण के माध्यम से भारत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को भी जवाब दे सकता है।
- जापान से लेकर अफ्रीका तक विस्तारवादी नीतियां लागू कर चीन अपनी मोतियों की माला की नीति (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति) के तहत दक्षिण एशिया तथा हिन्द महासागर के छोटे-छोटे देशों में सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण करके भारत को घेरने की लंबे समय से जीतोड़ कोशिश कर रहा है। चीन, बांग्लादेश और म्यामांर में नेवल बेस की स्थापना कर रहा है। दोनों ही देशों को चीन हथियार और अन्य साजों सामान दे रहा है।
- चीन मालदीव में भारत से मात्र कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। इसने श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है।
- इसी तरह से चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी नेवल बेस के रूप में विकसित कर रहा है। जानकारों का मानना है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका की नजर से बचने के लिए चीन ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से चीन कंबोडिया में भी एयर बेस और नेवल बेस बना रहा है।

क्वॉड का सैन्यीकरण एवं अन्य देश

- क्वॉड के सैन्यीकरण से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई देश अपना हित साधने की कोशिश में हैं। क्योंकि चीन का इस क्षेत्र में कई देशों के साथ संघर्ष है।
- जापान का चीन के साथ एक निर्जन द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। माना जा रहा है कि एशिया में जापान और चीन के बीच अगली भिड़ंत हो सकती है। उधर, ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन द्वीप पर चीन नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर और ताइवान को लेकर विवाद बढ़ गया है। ये चारों देश एशिया के अन्य देशों के साथ मिलकर चीन को आसानी से घेर सकते हैं।
- इनके अलावा, दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे से भी सब परेशान हैं। यहां केनटूना आइलैंड को लेकर सालों से चीन और इंडोनेशिया के बीच विवाद है। पार्सेल और स्पार्टी आइलैंड को लेकर चीन-वियतनाम आमने-सामने हैं।
- दक्षिणी- चीन सागर में ही जेम्स शेल पर चीन और मलेशिया दोनों दावा करते हैं। दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत शिपिंग का मुद्दा उठाकर चीन को चेतावनी दी है।

भारत की चिंताएँ

- क्वॉड ग्रुप के सैन्यीकरण को लेकर भारत की अपनी चिंताएँ हैं। भारत को लगता है कि इससे चीन की भारत के प्रति नाराजगी काफी बढ़ जाएगी।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि क्वॉड ग्रुप के सैन्यीकरण का तात्पर्य है कि भारत का अमेरिका के गुट में पूरी तरह से चला जाना

है। जबकि भारत हमेशा से ही गुट निरपेक्ष की नीति पर बल देता आया है।

- भारत एशिया में चीन को संतुलित करने हेतु अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहता है।
- भारत को लगता है कि क्वॉड ग्रुप के सैन्यीकरण से भारत की विदेश नीति की रणनीतिक स्वतन्त्रता प्रभावित हो सकती है।

क्वॉड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी

- भारत-अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फोर्मेशन एग्रीमेंट हुआ था। इसमें तय हुआ था कि जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक-दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे से पहले ही भारत ने 2-6 अरब डॉलर (19 हजार 760 करोड़ रुपए) की लागत से 24 एमएच 60 आर मल्टीरोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, चीन को काउंटर करने के लिए ही ट्रम्प ने 2016 में भारत को 'डिफेंस पार्टनर' का दर्जा दिया था।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया की नौसेना हिंद महासागर में अभ्यास करती हैं, जिसे ऑसइंडेक्स (AUSINDEX) कहते हैं।
- भारत और जापान के बीच भी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत, जापान और अमेरिका की नौ सेनाएं मालाबार में एक साथ अभ्यास भी करती हैं।

निष्कर्ष

- जैसा कि वर्ष 2018 के शांग्रिला डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की हिंद-प्रशांत नीति किसी विशेष देश (चीन) को एक किनारे लगाने के लिए नहीं है। हिंद-प्रशांत को लेकर भारत की एक सकारात्मक सोच है।
- भारत की परिभाषा के तहत हिंद-प्रशांत 'एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी क्षेत्र है जो हम सब को प्रगति और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हर किसी को खुले दिल से स्वीकार करता है। भारत ने 'समावेशी' शब्द जोड़कर हिंद-प्रशांत की परिभाषा को वैचारिक दृष्टि से एक नया आयाम देने की कोशिश की है।
- अत: भारत सरकार को चाहिये कि अपनी इसी सकारात्मक सोच को लेकर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आगे बढ़े और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे उपकरणों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयत्न करे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. क्वॉड ग्रुप के सैन्यीकरण से क्या तात्पर्य है? क्वॉड ग्रुप के सैन्यीकरण से भारत को किस प्रकार के लाभ हैं और इससे किस प्रकार की चिंताएँ जुड़ी हैं? संक्षेप में चर्चा कीजिये ।

05 गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की विदेश नीति

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री 'एस जयशंकर' ने अपने बयान में कहा है कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Aligned Movement-NAM) का तत्त्व (Element) एक विशेष काल एवं संदर्भ (Specific era and content) में ही प्रासंगिक था।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे-धीरे मुख्यत: दो गुटों में बँट गया था। एक गुट का नेतृत्व पूँजीवादी देश अमेरिका कर रहा था जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश सोवियत संघ कर रहा था।
- इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंदिता को शीत युद्ध (Cold war) के युग से जाना जाता है। शीत युद्ध का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू होकर सोवियत संघ के विघटन (वर्ष 1990-91) तक चला था।
- 1940-50 के दशकों (मुख्यत: द्वितीय विश्व युद्ध के पश्यात्) वैश्विक पटल पर कई देश उपनिवेशवाद की दासता से स्वतंत्र हुए थे। भारत भी इसी श्रेणी में शामिल था, क्योंकि भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद से 1947 में स्वतंत्रता मिली थी।
- अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ लगी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने-अपने गुटों में शामिल किया जाये। किन्तु उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन देश किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें लगता था कि यदि किसी ग्रुप में शामिल हुए तो वे किसी सैन्य संघर्ष में फिर से फँस सकते हैं। इससे उन्हें हाल ही में मिली स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जायेगा।
- इसलिए उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन नवीन देशों ने 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' की स्थापना की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश अमेरिका या सोवियत संघ के समूह से दूर थे।

- भारत ने भी अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के तत्त्व को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया, ताकि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच के किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहकर देश के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर सके। इसके अतिरिक्त, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपनी विदेश नीति में काफी हद तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया।
- गौरतलब है कि सन् 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था।

वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य संख्या

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद से इसमें लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ी है।
- इस समय भारत सहित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 विकासशील देश सदस्य हैं। इसके अलावा, इस समूह (गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समूह) में 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व 17 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है।
- वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के बाद 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य

- शीत युद्ध की राजनीति में शामिल नहीं होना और अमेरिका या सोवियत संघ के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना।
- जो देश अभी उपनिवेशवाद से आजाद हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता का अनुरक्षण करना तथा जो देश अभी उपनिवेशवाद के चंगुल से नहीं निकल पाये हैं, उनकी आजादी के लिए प्रयत्न करना।
- सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण (Universal Nuclear Disarmament) को बढ़ावा देना।
- वैश्विक स्तर पर सैन्य संघर्षों को हतोत्साहित करना तथा इससे दूरी भी बनाये रखना।
- रंगभेद की नीति का विरोध करना। गौरतलब है कि उस समय दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में रंगभेद की नीति काफी तीव्र थी।
- वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण पर बल देना।

सोवियत संघ के विघटन के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन

- सोवियत संघ का विघटन 1990-91 में हुआ था और नब्बे के दशक आते-आते गुटनिरपेक्ष के अधिकतर उद्देश्य अप्रासंगिक हो चले थे।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गयी। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की किसी भी गुट/ग्रुप में न शामिल होने का उद्देश्य/लक्ष्य अप्रासंगिक हो गया।
- नब्बे के दशक तक विश्व के सभी देश स्वतंत्र हो चुके थे। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोध का लक्ष्य अप्रासंगिक हो गया।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था कि सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु सम्पन्न देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण के बजाय अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश ही परमाणु परीक्षणों को अंजाम दे रहे थे।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत

- भारत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख देश है अतः इस आंदोलन की स्थापना के बाद से ही भारत इसके सिद्धांतों का पालन करता आया है। हालाँकि कुछ देशों ने भारत के परमाणु परीक्षण और सोवियत संघ से आपसी मित्रता संधि को लेकर सवाल खड़े किये थे।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बाद से इसके शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते आ रहे थे। किन्तु वर्ष 2016 और 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो ऐसा माना जाने लगा कि शायद भारत के लिए नैम का महत्त्व कम हो गया है।
- हालाँकि कोविड-19 महामारी के दरम्यान नैम के मई, 2020 में आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया था।

नब्बे के दशक के बाद भारतीय विदेश नीति

- नब्बे के दशक में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) कमजोर पड़ा तो भारतीय विदेश नीति में इस आंदोलन का महत्त्व भी कम हो गया अर्थात् अब यह भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्त्व नहीं रह गया।
- नैम के तत्त्व की जगह देश की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) पर बल दिया गया। किन्तु चाहे नैम हो या फिर रणनीतिक स्वायत्तता, दोनों में ही एंटी यूएसए की झलक देखने को मिलती थी, अतः विशेषज्ञ इस नीति को भी उपयुक्त नहीं मानने लगे।
- इसके, बाद सरकार ने मल्टी अलायमेंट (Multi-alignment) पर जोर दिया अर्थात् भारत अपने हितों के मुताबिक कई संगठनों में शामिल होने लगा। लेकिन इससे भारत की छवि एक अवसरवादी देश के रूप में रूपान्तरित होने का खतरा व्याप्त हो गया।
- मल्टी अलायमेंट के बाद 'मुद्दा आधारित साझेदारी या गठबंधन' (issue based partnership or coalition) पर जोर दिया गया। लेकिन भारत की विदेश नीति का यह तत्त्व भी धीरे-धीरे ठण्डे बस्ते में चला गया।
- अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कहा कि हमारी विदेश नीति में 'एडवांसिंग प्रोस्पेरिटी एण्ड इन्फ्लुएंस' (Advancing Prospertiy and Influence) के तत्त्व को प्रमुखता से अपनाया जायेगा। हालाँकि विदेश मंत्री ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय विदेश नीति में नैम (NAM) के तत्त्व पर कम बल देने का यह तात्पर्य नहीं है कि भारत किसी गठबंधन का हिस्सा होने जा रहा है। फिलहाल भारत किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना अभी जिस तरह के हालात लद्दाख में हैं, उन्हें देखते हुए भारत को अपनी झिझक छोड़कर पूरी तरह से अमेरिका के गुट में शामिल हो जाना चाहिए। हालाँकि भारत सरकार अभी इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है।

निष्कर्ष

- भारत दो वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बन गया है, अतः यहाँ भारत को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। ऐसे में भारतीय विदेश नीति के संचालकों को चाहिए कि वे विदेश नीति को इस प्रकार निर्धारित करें ताकि उत्तम तरीके से राष्ट्रीय हितों को साधा जा सके और वैश्विक पटल पर शांति व स्थिरता को और बढ़ाया जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? इसकी भारतीय विदेश नीति में क्या भूमिका रही है? नब्बे के दशके के बाद भारत की विदेश नीति ने किस प्रकार के बदलावों को अनुभव किया? संक्षेप में मूल्यांकन करें।

06 स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट : एक परिचय

चर्चा का कारण

- हाल ही में मोबाइल क्रेच एनजीओ द्वारा प्रकाशित की गई स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट के अनुसार बाल कल्याण के दृष्टिकोण से केरल भारत का शीर्ष राज्य है।

परिचय

- स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट, मोबाइल क्रेच नामक एनजीओ द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह एनजीओ बाल कल्याण के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षो से कार्यरत है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 21 प्रतिशत छह वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे कुपोषित हैं, इनमें लगभग 36 प्रतिशत बच्चे अल्पवजन से ग्रसित हैं ,साथ ही 38 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिनका टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि आगे के जीवन को संवारने के लिए बचपन में निवेश करना कितना जरूरी है। जन्म से लेकर पांच साल- बच्चे के लिए बड़े कीमती होते हैं। इस समय उसे पर्याप्त पोषण और प्यार भरा माहौल मिलना चाहिए।
- आरंभिक वर्षों में बेहतर बुनियाद पड़ने से अगली पीढ़ी को जीवन के सफर में अच्छी शुरुआत मिलती है। सेहतमंद विकास के लिए बच्चों को ऐसे माहौल में बड़े होने का मौका मिलता है, जहाँ का वातावरण भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षणिक और दूसरी जरूरतों को पूरा करने वाला हो।
- इस रिपोर्ट में मुख्यत: दो सूचकांकों की चर्चा की गई है।
  - यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स
  - यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स

यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स

- इस इंडेक्स में बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण का मापन, शिशु मृत्यु दर , स्टंटिंग , प्राथमिक शिक्षा हेतु उपस्थिति जैसे मानको को आधार माना गया है।

- इसका मापन 0 से 1 अंक के मध्य होता है।
- इसमें भारत का औसत स्कोर 0 .585 रहा है।
- केरल 0.858 के स्कोर के साथ शीर्ष राज्य रहा है।
- केरल के अतिरिक्त अन्य शीर्ष राज्य गोवा , त्रिपुरा, तमिलनाडु तथा मिजोरम हैं।
- राष्ट्रीय औसत से खराब प्रदर्शन करने वाले 8 राज्य-असम , मेघालय , राजस्थान , छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश तथा बिहार हैं।
- बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है।

यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स

- यह इंडेक्स पर्यावरणीय उत्प्रेरकों को बाल कल्याण की दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है।
- इसमें पांच नीति प्रवर्तकों का उपयोग किया गया है, जो बाल कल्याण के परिणामों को प्रभावित करते हैं, जिसमें गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, शिक्षा के स्तर में सुधार, सुरक्षित जल आपूर्ति और लिंग इक्विटी को बढ़ावा देना शामिल है।
- डेटा उपलब्धता की सीमाओं के कारण, पर्यावरण सूचकांक का निर्माण केवल 2015-2016 के लिए किया गया था।
- इस इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य क्रमश: केरल , गोवा ,सिक्किम , पंजाब, तथा हिमांचल प्रदेश हैं।
- इस इंडेक्स खराब प्रदर्शन करने वाले 8 राज्य-असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश तथा बिहार हैं। इन राज्यों का प्रदर्शन यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में भी खराब था।
- बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है।

रिपोर्ट के अन्य तथ्य

- बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी हैं।
- रिपोर्ट ने बताया कि भारत में बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य पर 2018 -19 में प्रति बच्चा 1723 रूपया खर्च किया जाता है परन्तु यह अपर्याप्त है।
- विगत कई वर्षो से निरंतर महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन बढ़ा है परन्तु यह बजट समन्वित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) में व्यय होता है।
- भारत में 6 वर्ष से कम 158.8 मिलियन बच्चे हैं परन्तु आइसीडीएस मात्र 71.9 मिलियन बच्चों को कवर करता है।

आईसीडीएस

- आईसीडीएस का विस्तृत रूप समन्वित (एकीकृत) बाल विकास योजना है। समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) केन्द्र प्रायोजित योजना है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा निष्पादित की जा रही है।
- इस योजना में केन्द्र सरकार कार्यक्रमों की योजना और परिचालन लागत के लिए जिम्मेदार है जबकि राज्य सरकारें कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- समेकित बाल विकास योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विश्व में बच्चों के सन्दर्भ में सबसे बडे कार्यक्रमों में से एक है इसके अंतर्गत बच्चों को बुनियादी सुविधाएं (उम्र के 6 साल तक) और गर्भवती माताओं और बच्चों के पालन-पोषण में जुटी माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये जरूरी पुष्टाहार, विटामिन की गोलियां, और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है।

योजना का उद्देश्य

- पूरक भोजन जिसके अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवा से बच्चों को 300 दिन की अवधि के लिए 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के भोजन में 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18-20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा।
- 0-6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
- एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
- बच्चों की मृत्यु दर, अस्वस्थता दर, कुपोषण दर और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
- विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के उद्देश्य से एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गर्भावस्था के दौरान मां को आवश्यक पोषण के बारे में जानकारी देना और बच्चे की देखभाल हेतु विभिन्न जरूरतों के बारे में पता लगाना और उनकी मदद करना।
- समेकित बाल विकास योजना क्रियान्वयन का मूल मंच आंगनवाड़ी केन्द्र है। इसी के माध्यम से इसे सम्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों के साथ विविध पर्यवेक्षक शामिल हैं।

- इस योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं
  - पूरक पोषण
  - प्रतिरक्षा
  - स्वास्थ्य जांच
  - रेफरल सेवाएं
  - पूर्व-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा
  - पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से छः सेवाओं में से तीन अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं मुहैया कराई गई हैं।

आगे की राह

- भारत में बाल कल्याण के लिए नियमित प्रयास किए गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय बाधाओं, त्रुटिपूर्ण रणनीतिक कार्यक्रम, समावेशी विकास का अभाव तथा जनजागरूकता की कमी ने बाल कल्याण के विकास में अवरोध उत्पन्न किया है। अतः सरकार को चाहिए कि इन समस्याओं का त्वरित निदान करें।
- बच्चे राष्ट्र के भविष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए सरकार और नागरिक समाज को बाल कल्याण की दिशा में बेहतर और कुशल कार्य करने की आवश्यकता है।
- एक देश के युवाओं के बाल्यावस्था का अल्प या अनुचित विकास उस देश के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है इसलिए राष्ट्रीय विकास के इस पहलू के महत्व को समझने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए कि सभी बच्चों के जीवन के लिए एक स्वस्थ शुरुआत हो।
- भारत सरकार ने देश में बचपन के विकास के लिए कई व्यापक नीतियों और फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे ICDS और राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोशन अभियान) की शुरुआत की है, परन्तु विभिन्न मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय के माध्यम से उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना भी वर्तमान समय की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. भारत में बच्चों के समावेशी विकास में उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करें।

07 भारत में अपशिष्ट समस्या एवं उसका प्रबंधन

चर्चा का कारण

- भारत में प्रति वर्ष लगभग 275 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वर्तमान में लगभग 20-25 प्रतिशत अपशिष्ट उपचार दरों के साथ इस अपशिष्ट का अधिकांश हिस्सा अनुपचारित रह जाता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि वर्षों की उपेक्षा, दूरदर्शिता की कमी और शहरी नियोजन की पूर्ण अनुपस्थिति ने भारत को अपशिष्ट-लैंडफिल, अपशिष्ट-चोक नालियों, जल निकायों और नदियों को अपशिष्ट के ढेर में बदल कर रख दिया है। इसलिए विश्लेषकों ने पाँच सूत्रीय कार्य-योजना के तहत सस्ती तकनीक, त्वरित खरीद प्रक्रिया, एक नई नीति, कुशल कर्मियों और शून्य-अपशिष्ट समाज को अपनाने पर बल दिया है।

परिचय

- भारत में लगभग 48 मान्यता प्राप्त लैंडफिल हैं, इस लैंडफिल ने लगभग 5,000 एकड़ भूमि को कवर किया है, जिसकी कुल भूमि मूल्य लगभग 100,000 करोड़ रुपये है। मुंबई में देवनार डंपसाइट (Deonar dumpsite) इसका एक उदाहरण है। यह भारत का सबसे पुराना लैंडफिल है, जिसे 1929 में स्थापित किया गया था। यह लगभग 325 एकड़ भूमि को कवर करता है। यह लैंडफिल 5,500 मीट्रिक टन कचरा, 600 मीट्रिक टन गाद(सपज) और 25 टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट रोजाना प्राप्त करता है।
- भारत विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा कचरा पैदा करता है । नालियाँ और जल निकाय से निकालने वाले गाद एवं कचरा भारतीय नदियों में प्रवेश करते हैं । इसका एक उदाहरण गंगा नदी है जो दुनिया की शीर्ष 10 प्रदूषित नदियों में शामिल है।

अपशिष्ट एवं उसके प्रकार

- अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है, जो रोज कारखानों, ऑफिस,घरों,एवं अन्य इमारतों की साफ-सफाई के बाद एकत्रित होता है तथा जिसे हम कचरापात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं।
- **घरेलू अपशिष्ट:** घरों से निकलने वाला कचरा घरेलू अपशिष्ट कहलाता है। जिसमें कागज, काँच, बोतल, डिब्बे, बेकार पड़े कपडे, रसोईघर में फल व सब्जियों का कचरा, अनुपयोगी खाद्य पदार्थ आदि आते हैं।
- **औद्योगिक अपशिष्ट:** विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ ऊर्जा संयंत्र खनन प्रक्रियाएँ जो अपशिष्ट छोड़ते हैं, वे औद्योगिक अपशिष्ट कहलाते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत होते हैं। इनके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण,ध्वनि प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण आदि प्रदूषण होते हैं।
- **चिकित्सकीय अपशिष्ट:** अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे काँच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सीरिंज आदि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। इसके अलाव जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस के टुकड़े, संक्रमित उत्तक व अंग अनेक रोगों के संक्रमण हेतु माध्यम प्रदान करते हैं।
- **कृषि अपशिष्ट:** कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में प्रयोग में लिए गए उर्वरक , कीटनाशी, शाकनाशी, कवक नाशी आदि रसायनों से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। अनुपयोगी भूसा, घास-फूस,फसल अपशिष्ट, पत्तियाँ आदि एकत्रित होने पर वर्षा जल से सड़ने वाले कृषि अपशिष्ट होते हैं और इनमें होने वाली जैविक क्रियाओं से प्रदूषण होता है।

अपशिष्ट प्रबंधन एवं उसकी महत्ता

- शहरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप शहरी कूड़े-करकट की मात्रा बहुत बढ़ गई है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या और लोगों के जीवन स्तर में सुधार से यह समस्या और भी जटिल हुई है। ऐसे में कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े-करकट से उपयोगी पदार्थों को निकालना और बचे हुए अपशिष्ट से प्रसंस्करण केन्द्र में बिजली का उत्पादन करना है। साथ ही लैंडफिल में डाले जाने वाले कूड़े की मात्रा को कम से कम करना है क्योंकि तेजी से सिमट रहे भूमि संसाधन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं। इस तरह से फेंका गया कूड़ा-करकट वायु, मृदा और जल प्रदूषण का खतरा पैदा कर सकता है।
- अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वालों द्वारा कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में छांट कर अलग करना चाहिए ।
- घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और छंटाई के बाद इसे प्रसंस्करण के लिए भेजना चाहिए।
- सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच जैसी पुनर्चक्रित हो सकने वाली उपयोगी सामग्री छांटकर अलग करना चाहिए।
- कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं, जैसे कम्पोस्ट बनाने, बायो-मीथेन तैयार करने, और कूड़े-करकट से ऊर्जा उत्पादन करने के संयंत्रों की स्थापना करना चाहिए।
- अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा हेतु लैंडफिल बनाना चाहिए।

चुनौतियाँ

- भारत विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा कचरा पैदा करता है, और अगर 2050 तक तत्काल उपाय नहीं किए गए तो वर्तमान कचरे की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
- केंद्र, राज्य, और स्थानीय सरकारें दशकों से अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे पर कार्य कर रही हैं किन्तु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 का पालन नहीं किया जाता है। भारत में लगभग 92 बड़े डब्ल्यूटीई संयंत्र हैं। राज्य सरकारों ने अब तक ऐसे संयंत्रों में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इनमें से कुछ ऐसे संयंत्र हैं जो चालू तो हैं, किन्तु वे बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।

- शहर की नगरपालिकाओं का मुख्य दायित्व है कि वे शहरों को साफ रखने के लिए अपशिष्ट का प्रबंधन करें। लेकिन लगभग सभी नगरपालिकाएं लैंडफिल साइट में अपशिष्ट पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं। जानकारों का मानना है कि भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण ऐसा होता है।
- दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद सबसे ज्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शहरों में शामिल हैं। भारत में प्लास्टिक का उत्पादन अगले 20 सालों में दोगुना हो जाएगा, इसलिए इसके उचित प्रबंधन का अभाव है।
- अगर कूड़ा-करकट एकत्र नहीं किया जा रहा है और छांट कर अलग-अलग करके प्रसंस्करण केन्द्र में ठीक से नहीं भेजा जा रहा है तो इसका प्रसंस्करण करना सम्भव नहीं है। इस स्थिति में अपशिष्ट लैंडफिल में फंक दिया जाता है। ऐसे में उसका प्रसंस्करण बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे कूड़े के साथ भवन निर्माण और उनकी तोड़-फोड़ से निकला मलबा भी होता है जिसे प्रसंस्करण संयंत्र में सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

सरकारी प्रयास

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016, वन और जलवायु परिवर्तन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राज्यों के शहरी मामलों के विभागों, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों तथा कूड़ा उत्पन्न करने वालों समेत विभिन्न भागीदारों की जिम्मेदारी रेखांकित करती है। दूसरी ओर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्यों के शहरी मामलों के विभागों और स्थानीय निकायों को मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को नियमों पर अमल की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कूड़ा उत्पन्न करने वालों की मूल जिम्मेदारी यह है कि वे कूड़े की छंटाई करें क्योंकि यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य आवश्यकता है। ये नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के महत्त्वपूर्ण घटकों की आवश्यकताओं को रेखांकित करने के साथ ही लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा भी निर्धारित करते हैं।

पाँच सूत्रीय कार्य योजना

- वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा दिये गए निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

1. **सस्ती तकनीक:** आज, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अधिकांश प्रौद्योगिकी/ उपकरण आयातित, व महंगे हैं और अकसर हमारी विभिन्न स्थानीय स्थितियों में अनुकूल नहीं होते हैं। सबसे पहले नगरपालिकाओं को सस्ती तकनीक तक पहुंच की आवश्यकता है जो कि भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलित हों। भारतीय शहरों की जटिल संरचना को देखते हुए सस्ती, विकेंद्रीकृत और अनुकूलित समाधान की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जल निकायों को साफ करने के लिए ऐसे उपकरण (जैसे रोबोट , स्वचालित मशीन इत्यादि) की आवश्यकता हैं, जो बड़े जल निकायों के लिए अच्छी तरह से काम कर सकें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छोटे नालों और जल निकायों के लिए रोबोटिक उपकरणों का डिजाइन और निर्माण आवश्यक है।
2. **त्वरित खरीद प्रक्रिया:** कठोर एवं लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण प्रौद्योगिकी और उपकरणों की खरीद में देरी हो जाती है जिससे राज्य सरकारें कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में अपशिष्ट प्रबंधन को देखते हुए प्रौद्योगिकी और उपकरणों की खरीद के लिए एक कम बोझिल प्रक्रिया का विकास अनिवार्य है।
3. **एक नई नीति:** भारत में एक ऐसी नयी नीति की आवश्यकता है जो अपशिष्ट को हटाने में तेजी ला सकती है। नयी नीति के माध्यम से कंपनियां या उद्योग जो लैंडफिल को साफ करते हैं, उन्हे विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
4. **कुशल कर्मियों की नियुक्ति:** कचरे के प्रबंधन संयंत्रों के संग्रह, संचालन और रखरखाव से अपशिष्ट प्रबंधन शृंखला को संचालित करने और बनाए रखने के लिए कुशल और प्रशिक्षित पेशेवर कर्मियों की नियुक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए मशीनीकरण के पूर्ण उपयोग की जरूरत है।
5. **आयात एवं पुनर्नवीनीकरण:** स्वीडन अब अपने कुछ संयंत्रों के लिए कचरे का आयात कर रहा है और उत्पन्न सभी कचरे निश्चित रूप से उसे विदेशी मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात करें तो यहाँ पारंपरिक रूप से एक ऐसा समाज है, जहाँ वस्तुओं की बहुत कम बर्बादी करता है और सब कुछ पुनः उपयोग और पुनर्नवीनीकरण करने की कोशिश करता है। इसलिए हमे ऐसे समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी है कि स्रोत से ही उसे ठीक से अलग-थलग कर लिया जाए ताकि उसकी उचित रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग हो सके। भारत के केवल तीन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों-केरल, छत्तीसगढ़ व दमन व दीव में 100 प्रतिशत अपशिष्ट स्रोत से अलग-थलग किया जाता है, जिसे सभी राज्य सरकारों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों तथा कूड़ा उत्पन्न करने वालों समेत विभिन्न भागीदारों की जिम्मेदारी तय करने एवं उनकी निगरानी करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. अपशिष्ट प्रबंधन एवं उसकी महत्ता का वर्णन करें साथ ही कूड़ा उत्पन्न करने वालों समेत विभिन्न भागीदारों की जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रमुख सुझाव प्रस्तुत करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स एवं मस्तिष्क एटलस

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में, मनोरोग संबंधी बीमारियों के सटीक आकलन करने और न्यूरो-सर्जिकल ऑपरेशन करने में मदद के लिए 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान' (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences- NIMHANS) के न्यूरोसाइंटिस्टों की एक टीम द्वारा पाँच वर्ष तक के बच्चों के लिये बचपन से प्रौढ़ावस्था (छह वर्ष से 60 वर्ष) कवर करते हुए 'इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स' (Indian Brain Templates- IBT) और मस्तिष्क एटलस के पाँच सेट विकसित करने हेतु भारतीय मरीजों के 500 से अधिक ब्रेन स्कैन का अध्ययन किया गया है।

2. पृष्ठभूमि

- मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स (एमएनआई) टेम्प्लेट जो हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, कोकेशियान मस्तिष्क टेम्पलेट पर आधारित है तथा इसे उत्तरी अमेरिका के एक शहरी आबादी के छोटे से हिस्से से औसतन 152 स्वस्थ मस्तिष्क स्कैन द्वारा निर्मित किया गया था।
- समय के साथ न्यूरोसाइंटिस्टों ने पाया कि कोकेशियान दिमाग एशियाई दिमाग से अलग है।
- इस परियोजना को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और न्यूटन ग्रांट मेडिकल रिसर्च काउंसिल (MRC), यूके द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

3. महत्व

- इस अध्ययन का महत्व यह है कि न्यूरोसाइंटिस्टों को मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स (एमएनआई) टेम्पलेट के वर्तमान सार्वभौमिक मानक पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पास अब भारतीय मस्तिष्क को मापने के लिए अपना मापक होगा।
- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय टेम्प्लेट्स के सत्यापन प्रयोगों और तुलनाओं में पाया गया कि भारतीय दिमागों के लिए NIMHANS IBT का उपयोग करने से मस्तिष्क की संरचना और कार्य की अंतिम रिपोर्टों में विकृतियों, त्रुटियों या पूर्वाग्रहों को कम करने, संरेखण की सटीकता में प्राप्त परिणामों में काफी सकरात्मकता आई है।

5. ब्रेन टेम्प्लेट क्या है?

- चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) से मस्तिष्क की छवियों का डेटाबेस, जब एक साथ संकलित किया जाता है, परिणामस्वरूप ब्रेन टेमपलेट प्राप्त होता है।

4. लाभ

- यह अध्ययन, स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर और मनोभ्रंश जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों के लिए अधिक सटीक संदर्भ मानचित्र प्रदान करेगा।
- ये, मानव मस्तिष्क एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों के समूह अध्ययन में संबंधित जानकारी को और अधिक उपयोगी बनाने में सहायक होंगे, जिससे 'अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर' (Attention Deficit Hyperactivity Disorder- ADHD), ऑटिज्म, किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता, सिजोफ्रेनिया जैसी मनोरोगों के बारे में समझने में आसानी होगी।
- यह आने वाली पीढ़ी के तथा आयु-विशिष्ट 'इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स', मस्तिष्क के विकास और आयु वृद्धि को अधिक विश्वसनीय तरीके से समझने में सक्षम बनाएगा।

02 चीन और नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पुनः मापन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में नेपाली टाइम्स के अनुसार लगभग एक साल बाद चीन और नेपाल ने मिलकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई को फिर से मापने का फैसला किया, दोनों देशों द्वारा जल्द ही इसकी आधिकारिक ऊंचाई घोषित करने की उम्मीद है।

2. पृष्ठभूमि

- माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के बीच हिमालय में पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मी० है। यह दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत, K2 से 200 मीटर से अधिक है, जो 8,611 मीटर लंबा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है।
- इस पर्वत को अपना यह अंग्रेजी नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट से मिला है, जो एक औपनिवेशिक युग के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में कार्य किया था।

3. पुनः ऊंचाई मापे जाने की आवश्यकता

- गौरतलब है कि वर्तमान में एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मी है, जिसे 1956 के बाद से व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, जब यह आंकड़ा भारत के सर्वेक्षण द्वारा मापा गया था। हालांकि, शिखर की ऊंचाई को टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बदलने के लिए जाना जाता है, जैसे कि 2015 नेपाल भूकंप।
- साथ ही दशकों के अन्तराल में इसका माप भी इस बात पर निर्भर करता है कि सर्वेक्षण कौन कर रहा था।
- इसके अलावा एक मुद्दा यह है कि क्या ऊंचाई उच्चतम चट्टान बिंदु या फिर उच्चतम बर्फ बिंदु पर आधारित होनी चाहिए?
- वर्षों से, नेपाल और चीन इस मुद्दे पर असहमत थे, जिसे 2010 में हल किया गया था जब चीन ने नेपाल द्वारा, बर्फ की ऊंचाई 8,848 मीटर होने के दावे को स्वीकार किया था, और नेपाली पक्ष ने भी 8,844.43 मी पर चट्टान की ऊंचाई के चीनी दावे को मान्यता दी थी।
- फिर 2019 में, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल का दौरा किया, तो दोनों देशों ने एवरेस्ट की ऊंचाई पुनः नापने और निष्कर्षों की एक साथ घोषणा करने पर सहमति व्यक्त की।

4. मापन का आधार

- कोरोनोवायरस महामारी से पूर्व नेपाल की एक टीम ने पिछले साल अपना काम पूरा किया और हाल ही में चीन ने मई 2020 में अपना अभियान पूरा किया। नेपाली टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों टीमें समुद्र तल के लिए अलग-अलग बिंदुओं का इस्तेमाल कर रही हैं-चीन पीले समुद्र (येलो सी) का इस्तेमाल कर रहा है और नेपाल बंगाल की खाड़ी के करीब एक बिंदु का इस्तेमाल कर रहा है।

5. एवरेस्ट का पहला सर्वेक्षण

- दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापने के लिए एक मिशन को 1847 में गंभीरता से प्रारंभ किया गया और भारत के रॉयल सर्वेयर जनरल के एंड्रयू वॉ के नेतृत्व में एक टीम कि खोज के साथ समाप्त किया गया।
- टीम ने चोटी 15 को उच्चतम पर्वत के रूप में संदर्भित किया जिसे माउंट एवरेस्ट कहा गया, जो तत्कालीन प्रचलित धारणा के विपरीत था कि माउंट कंचनजंगा (8,582 मीटर) दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है।

6. निष्कर्ष

- विभिन्न अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति में, नेपाल सरकार के पास उस सर्वेक्षण का कोई रिकॉर्ड या प्रामाणिक संस्करण नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश राज का भारत में कार्यालय के दौरान सर्वेयर जनरल द्वारा किया गया था।
- गौरतलब है कि त्रिकोणमितीय गणना पर आधारित उस सर्वेक्षण को ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।

03 फाइव स्टार गांव योजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, फाइव स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है।

2. क्या है फाइव स्टार गांव योजना

- यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांवों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने की खाई को पाटने का प्रयास करेगी। यह योजना महाराष्ट्र में प्रारंभिक आधार पर शुरू की जा रही है।

4. योजना का महत्व

- ध्यातव्य है कि भारतीय डाक कोविड-19 की वजह से उत्पन्न कठिन स्थिति में लोगों तक दवाइयाँ और वित्तीय सहायता पहुंचाकर उनकी असाधारण रूप से सेवा कर रहा है।
- डाक विभाग अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। डाक योजनाओं को अत्यधिक सुरक्षित जमा प्रदान करने के लिए जाना जाता है, वे कम जोखिम के साथ अधिक ब्याज की वापसी प्रदान करते हैं।
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए इस तरह के सहयोगी प्रयासों के माध्यम से सही दिशा में कार्य हो सकता है , जिसमें वित्तीय समावेशन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न योजनाओं को एक जगह पर एक साथ लाया गया हो।

5. योजना कार्यान्वयन दल

- इस योजना को पांच ग्रामीण डाक सेवकों की टीम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिन्हें डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत और बीमा योजनाओं के विपणन के लिए एक गाँव सौंपा जाएगा।
- इस टीम का नेतृत्व संबंधित शाखा कार्यालय के शाखा पोस्ट मास्टर करेंगे।
- डाक निरीक्षक दैनिक आधार पर टीम की प्रगति पर व्यक्तिगत निगरानी रखेंगे।
- टीमों का नेतृत्व और निगरानी संबंधित प्रभागीय प्रमुख, सहायक अधीक्षक डाक और निरीक्षक पदों द्वारा की जाएगी।

6. योजना का लाभ

- ग्रामीण डाक सेवकों की टीम सभी पात्र ग्रामीणों को कवर करते हुए सभी योजनाओं के बारे में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी।
- शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करके व्यापक प्रचार किया जाएगा।
- पंचायत कार्यालयों, स्कूलों, ग्राम औषधालयों, बस डिपो, बाजारों जैसे लक्षित गांवों के प्रमुख स्थानों का उपयोग विज्ञापन के लिए भी किया जाएगा और पर्चे वितरित किए जाएंगे।
- कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए छोटे मेलों का आयोजन किया जाएगा।

04 विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

1. चर्चा का कारण

- 8 सितंबर, 2020 को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (WSTS) को आयोजन किया गया।

2. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है। यह एक भारतीय पहल है, जिसकी शुरुआत, 30 नवंबर, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति, एच.ई. फ्रांस्वा द्वारा, पेरिस (फ्रांस) में हुए COP-21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान की गयी थी।
- इस संगठन में 122 से भी ज्यादा देश सम्मिलित हैं। हाल ही में संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हो सकते हैं।
- 30 जुलाई 2020 तक, 87 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इनमें से 67 देशों द्वारा अभिपुष्टि भी कर दी गयी है।
- इस संगठन को बनाने का मुख्य श्रेय भारत व फ्रांस को जाता है।
- इस संगठन में मुख्यत: Sunshine देश ही सदस्य है।
- Sunshine देश वे देश हैं जो प्राकृतिक रूप से लगभग साल भर सूर्य का प्रकाश ग्रहण करतें हैं। जिनमें से Tropical Region यानि विषुवतीय प्रदेश के देश मुख्य हैं।

3. उद्देश्य

- सौर फोटो वाल्विक क्रांति में सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। आईएस को हर घर में बिजली पहुंचाने के अपने सपने को पूरा करने के लिये नवप्रवर्तनशील और सस्ती प्रौद्योगिकी की जरूरत है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन इस दिशा में उठाया गया कदम है।
- 08 सितंबर, 2020 को आयोजित इस सम्मेलन में आईएसए का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अगली पीढ़ी की तकनीक को सामने लाना है जो सौर ऊर्जा के अधिक कुशलता से उपयोग की दिशा में प्रयासों को गति देगी।

4. अन्य बिंदु

- इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की नवाचार स्थिति के बारे में प्रदर्शन और विचार-विमर्श के द्वारा सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में चर्चा की गयी तथा विचारों का आदान-प्रदान किया गया।
- अनेक आईएसए सदस्य देशों के मंत्री उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्ति, नेशनल फोकल पॉइंट्स और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि, आईएसए भागीदार, व्यापार और उद्योग के दिग्गज, सौर परियोजना डेवलपर्स, सौर विनिर्माता, रिचर्स अनुसंधान और विकास संस्थानों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और थिंक टैंक, सिविल सोसायटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और डोनर्स, गैर-सरकारी और समुदाय-आधारित संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेनलन में भाग लिया।

05 राज्यों की स्टार्टअप पारितंत्र

1. चर्चा का कारण

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा स्टार्टअप पारितंत्र के समर्थन हेतु राज्यों की रैकिंग के दूसरे संस्करण के परिणाम हाल ही में जारी किए गए।

5. महत्व

- देश में स्टार्टअप पारितंत्र से 4 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। रैंकिंग सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है, जिससे राज्यों की क्षमता निर्माण में सहायता मिलेगी।
- रैंकिंग से ऐसे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिनमें अपना व्यवसाय शुरू करने के कौशल हैं और नए विचार हैं। इस संदर्भ में तो भारत दुनिया का तीसरा बड़ा पारितंत्र बन गया है।
- साथ ही कोविड के दौरान, हमारे स्टार्टअप्स कई अच्छे विचार और देश तथा दुनिया के सामने मौजूद कई समस्याओं के समाधान लेकर सामने आए हैं।

2. परिचय

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और स्टार्टअप पारितंत्र के सन्दर्भ में सक्रियता से काम करने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का संचालन किया जाता है।
- राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार क्षेत्र हैं, जिसमें 30 कार्य बिंदु हैं। इन कार्य बिन्दुओं में शामिल हैं- संस्थागत समर्थन, आसान अनुपालन, सार्वजनिक खरीद मानदंडों में छूट, इन्क्यूबेशन समर्थन, सीड फंडिंग सहायता, उद्यम अनुदान सहायता और जागरूकता एवं आउटरीच।

3. रैंकिंग प्रक्रिया

- रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो समूहों में विभाजित किया गया है।
- दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्र और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्य श्रेणी Y में रखे गए हैं।
- वहीं अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को श्रेणी X में रखा गया है।
- इस प्रक्रिया में कुल 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया।
- रैंकिंग के उद्देश्य से, राज्यों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला,
  - उत्तम प्रदर्शन,
  - अग्रणी (लीडर),
  - आकांक्षी अग्रणी और
  - उभरता हुआ स्टार्टअप पारितंत्र।

4. राज्य स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019

- **श्रेणी X**
  - सबसे अच्छा प्रदर्शन: गुजरात
  - उत्तम प्रदर्शन (टॉप परफॉर्मर): कर्नाटक, केरल
  - अग्रणी: बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान
  - आकांक्षी अग्रणी: हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड
  - उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र: आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
- **श्रेणी Y**
  - सबसे अच्छा प्रदर्शन: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
  - अग्रणी : चंडीगढ़
  - आकांक्षी अग्रणी: नगालैंड
  - उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र: मिजोरम, सिक्किम

06 आभासी न्यायालयों को जारी रखने के लिये विधि पैनल की सिफारिश

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कोविड 19 के पश्चात भी आभासी अदालतों के निरंतर उपयोग की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि आभासी न्यायालयों (Virtual Courts) की कार्यवाही को जारी रखने के लिए विशेष रूप से जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता है।

2. प्रमुख सुझाव

- कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि "अदालत, एक स्थान से अधिक, एक सेवा (more a service than a place) है। अधिवक्ताओं को "बदलते समय के साथ तालमेल" रखना होगा क्योंकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय सस्ता और सुलभ होगा।
- इसके अलावा आभासी न्यायालयों की मदद से स्थानीय और आर्थिक बाधाओं को दूर कर गवाही प्रदान करने वाले कमजोर गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी न्यायालय लंबित मामलों की प्रक्रियाओं में तेजी लाने और पारंपरिक न्यायालयों में सुधार के रूप बेहतरीन कार्य कर सकता है।
- संसदीय पैनल ने तर्क दिया है कि कुछ मामलों की श्रेणी जैसे ट्रैफिक चालान या अन्य छोटे अपराधों से संबंधित मामले, नियमित अदालती प्रतिष्ठानों से आभासी अदालतों में स्थानांतरित करने से मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है। वर्तमान में 30 मिलियन मामले लंबित हैं। ऐसे में नवीनतम तकनीक के माध्यम से आभासी न्यायालय की कार्यवाही जारी रखी जानी चाहिये।
- पैनल ने सुझाव दिया कि देश भर में विभिन्न अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे TDSAT, IPAB, NCLT में स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है, जिसमें पक्षों/अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।

3. आभासी न्यायालय क्या हैं?

- ई-कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जेल परिसर से ही अपराधियों की पेशी और उनके मामले में सुनवाई की जाती है ।यदि कोई अपराधी दूसरे राज्य अथवा शहर की जेल में बंद है और मामले की सुनवाई स्थानीय कोर्ट में चल रही है, तो वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होने पर सीधे सुनवाई हो सकती है।
- ई-कोर्ट परियोजना की परिकल्पना 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना-2005' के आधार पर की गई थी।

5. आगे की राह

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को भी अदालत की कार्यवाही में शामिल करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि ADR असहमत पक्षों को मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में पड़े बिना किसी विवाद के समाधान हेतु स्थापित तंत्र है।

4. आभासी अदालतों के समक्ष चुनौतियाँ

- आभासी अदालतों के संदर्भ में जानकारों ने जो मूलभूत तर्क दिए हैं उनमें से एक सीमित संसाधन है। बार एसोशिएशन का मानना है कि भारत में 50 प्रतिशत अधिवक्ताओं के पास डिजिटल सुनवाई में भाग लेने के लिए कंप्यूटर या लैपटाप नहीं है।
- भारत की डिजिटल पैठ की बात करें तो लाखों भारतीयों के पास अभी भी इंटरनेट नहीं है, यद्यपि भारत के शहरी केंद्र कनेक्टिविटी और गति की उच्च दरों से लाभान्वित होते हैं, लेकिन छोटे शहरों और क्षेत्रीय क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट के कारण ऑनलाइन कार्यवाही में भाग लेने के लिये इंटरनेट की आवश्यक न्यूनतम गति 2mbps @sec भी उपलब्ध नहीं हो पाती है।
- देश भर में सिर्फ 3,477 अदालतों में ऐसी सुविधाएं हैं जो आभासी कार्यवाही को सक्षम बनाती हैं जबकि 14,443 अदालतों में ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।
- कुछ विश्लेष्कों का कहना है कि एक वकील जजों के मनोदशा को समझता है और शारीरिक सुनवाई के दौरान उन्हें अपने केस को समझाने का बेहतर प्रयास करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्यायाधीशों पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है, क्योंकि इसके माध्यम से दर्ज साक्ष्य जैसे- चेहरे के भाव, मुद्राओं और इशारों जैसे गैर-मौखिक संकेतों को विकृत किया जा सकता है। इसके अलावा आभासी अदालतें डेटा की गोपनीयता के साथ-साथ अदालती कार्यवाही की गोपनीयता से समझौता कर सकती हैं।

07 जम्मू–कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक अमले को बेहतर और उनके काम करने की गुणवत्ता सुधारने के लिए जम्मू -कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (जेके-आईग्राम) की शुरुआत की, जिसके तहत शिकायत निवारण प्रणाली का अब विकेन्द्रीकरण होगा।
- गौरतलब है कि यह शिकायत निवारण प्रणाली वर्ष 2018 में सरकार द्वारा शुरू किए गए मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को प्रतिस्थापित करेगी। इससे पहले कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) वर्ष 2019 से राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन नागरिक शिकायतों के समाधान के लिए डाटा आधारित नवाचार' का शुभारम्भ कर चुका है।

2. आवश्यकता क्यों?

- प्रशासन और शासन से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। इसलिए जेएंडके आईजीआरएमएस को शुरू करने का फैसला लिया गया।

4. प्रमुख बिन्दु

- जेके-आईग्राम अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जम्मू, श्रीनगर और रियासी जिले में ही शुरू किया जा रहा है। किन्तु धीरे-धीरे 2 अक्टूबर तक शेष जिलों में चलाया जाएगा।
- शिकायतों के निपटान और निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों को प्राथमिक स्तर के रूप में रिसीवर बनाया गया है। इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में लगभग 1500 सार्वजनिक कार्यालयों की मैपिंग करके मौजूदा पोर्टल को अब जिला स्तर पर नीचे की ओर एकीकृत कर दिया गया है।
- यह केंद्र सरकार के साथ जुड़ी देश का पहला ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली/पोर्टल बन रही है। इसमें सबसे ऊपर जिले हैं फिर तहसील और ब्लॉक स्तर तक भी नीचे रखे गए हैं।
- इसके अलावा इस प्रणाली के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए इसमें विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव भी तंत्र से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, नई प्रणाली 24'7 उपलब्ध होगी जो आवेदक के ओटीपी प्रमाणीकरण के साथ काम करेगी। प्रत्येक चरण में आवेदक को पावती, शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिक्रिया की व्यवस्था भी दी गई है।
- इसके साथ ही कॉल सेंटर के जरिए उस शिकायत को लेकर रविवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 9.30 से पूर्वाह्न 5-30 बजे के बीच फोन कॉल भी की जाएगी।

6. महत्व

- केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
- सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) वेब तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को कहीं से भी और किसी भी समय शिकायत करने में सक्षम बनाना है, जिसके आधार पर मंत्रालय/विभाग/संगठन/राज्य सरकार तेजी से जांच कर सके और इन शिकायतों का निस्तारण कर सके।
- इस पोर्टल पर विशेष पंजीकरण संख्या भी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर होने वाली कार्यवाही पर नजर रख सकेंगे।

5. जेके-आईग्राम का महत्व

- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब लोगों में विशेष रूप से कश्मीर घाटी में असंतोष और अलगाव की भावना बढ़ रही है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष अनुछेद 370 के निरसन से कश्मीर घाटी में तनाव की स्थिति व्याप्त है।
- इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा बैक टू विलेज 'अभियान की भी घोषणा की थी, जिसमें अधिकारी गाँवों का दौरा करेंगे और जनता की शिकायतों का समाधान करेंगे।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स एवं मस्तिष्क एटलस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स टेम्प्लेट जो हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, कोकेशियन मस्तिष्क टेम्प्लेट पर आधारित है।
2. इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स मस्तिष्क के विकास और आयु वृद्धि को अधिक विश्वसनीय तरीके से समझने में मदद करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स टेम्पलेट जो हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, कोकेशियान मस्तिष्क टेम्प्लेट पर आधारित है। यह आने वाली पीढ़ी के तथा आयु-विशिष्ट 'इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट, मस्तिष्क के विकास और आयु वृद्धि को अधिक विश्वसनीय तरीके से समझने में मदद करेगा। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

02 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पुनः मापन

प्र. माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है।
2. माउंट एवरेस्ट की चोटी को मापने के लिए 1847 में एक टीम का गठन किया गया था।
3. वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8848 मी॰ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के बीच हिमालय में पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8848 मी॰ है। विदित हो कि हाल ही में नेपाल टाइम्स के अनुसार एक साल बाद चीन और नेपाल ने मिलकर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई को फिर से मापने का फैसला किया है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

03 फाइव स्टार गांव योजना

प्र. फाइव स्टार गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, फाइव स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है।
2. यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांवों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने की खाई को पाटने की प्रयास करेगी।
3. यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, फाइव स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांवों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने की खाई को पाटने की प्रयास करेगी। यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

04 विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

प्र. दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।

2. इस संगठन को बनाने का मुख्य श्रेय भारत व फ्रांस को जाता है।
3. 8 सितम्बर, 2020 को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है। इस संगठन को बनाने का मुख्य श्रेय भारत व फ्रांस को जाता है। 8 सितम्बर, 2020 को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

05 राज्यों की स्टार्टअप पारितंत्र

प्र. राज्यों की स्टार्टअप पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT डीपीआईआईटी) द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का संचालन किया जाता है।
2. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग-2019 की X श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन 'गुजरात' द्वारा किया गया।
3. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग-2019 की Y श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने किया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और स्टार्टअप परितंत्र के संदर्भ में सक्रियता से काम करने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का संचालन किया जाता है। इसमें X श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन 'गुजरात' में किया तथा Y श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में किया। इस प्रकार कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

06 आभासी न्यायालयों को जारी रखने के लिये विधि पैनल की सिफारिश

प्र. आभासी न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ई-कोर्ट परियोजना की परिकल्पना 'भारतीय न्यायापालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना-2005' के आधार पर की गई थी।
2. ई-कोर्ट में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जेल परिसर से ही अपराधियों की पेशी और उनके मामले की सुनवाई की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: ई-कोर्ट में वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही अपराधियों की पेशी और उनके मामले की सुनवाई की जाती है। यदि कोई अपराधी दूसरे राज्य अथवा शहर की जेल में बंद है और मामले की सुनवाई स्थानीय कोर्ट में चल रही है, तो वहाँ वीडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा होने पर सीधे सुनवाई हो सकती है। ई-कोर्ट की परिकल्पना 'भारतीय-न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना-2005' के आधार पर की गई थी। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

07 जम्मू-कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

प्र. जम्मू-कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में जेके-आईग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केवल जम्मू में शुरू किया गया है।
2. जेके-आईग्राम के अंतर्गत जिला कलेक्टर या उपायुक्त को प्राथमिक स्तर के रूप में रिसीवर बनाया गया है।
3. जेके-ग्राम केन्द्र सरकार के साथ जुड़ी देश की पाँचवी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली/पोर्टल बन रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और उनके काम की गुणवत्ता सुधारने के लिए जम्मू-कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (जेके-आईग्राम) की शुरूआत की। इसके अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली का विकेन्द्रीकरण होगा। यह केन्द्र सरकार के साथ जुड़ी देश का पहला ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली होगी। इस तरह कथन 3 गलत हैं, अतः उत्तर (b) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

चर्चा मे क्यों

- हाल ही मे केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। गेहूं की MSP (Minimum Support Price) पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान किया गया है। सरकार के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी और बढ़ी हुई दरों से किसानों को 106 प्रतिशत तक का लाभ होगा।

बढ़ा हुआ मूल्य

- गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चना का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि। इसके अलावा जौ का समर्थन मूल्य 1600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ है और 75 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित। सरसों एवं रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रूपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ है।
- कृषि मंत्री ने कहा, वर्ष 2013-2014 में गेहूं की MSP 1400 रुपये थी, जो 2020-2021 में बढ़कर 1975 रुपये हो गई। यानि एमएसपी में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2013-2014 में धान की MSP 1310 रुपये थी, जो 2020-2021 में बढ़कर 1868 रुपये हो गई। 2013-2014 में मसूर की MSP 2950 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 5100 रुपये हो गई। 2013-2014 में उड़द की MSP 4300 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 6000 रुपये हो गई।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। MSP की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक यानी किसानों को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो जाये, किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार MSP किसानों को अधिक फसल बुबाई के लिए प्रेरित करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का उद्देश्य

- न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अनाज की खरीद करना है।
- यदि किसी फसल का अत्यधिक उत्पादन होने या बाजार में उसकी अधिकता होने के कारण उसकी कीमत घोषित मूल्य की तुलना में कम हो जाती है तो सरकारी एजेंसियाँ किसानों की अधिकांश फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेती हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) कैसे तय किया जाता है

- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) रबी और खरीफ फसलों के MSP को तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखता है। ये कारक हैं; उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक मूल्य तय करना, मांग और आपूर्ति, इनपुट की कीमतों में बदलाव, इनपुट-आउटपुट मूल्य समता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, बाजार की कीमतों का रुझान, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गयी कीमतों के बीच समता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति आदि।

02 सूरज का 25वां सोलर साइकिल

- चर्चा में क्यों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार हमारे सौरमंडल के ऊर्जा स्त्रोत, सूर्य का 25वां सोलर साइकिल शुरू हो रहा है।

प्रभाव

- नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हाल ही में सूरज की सतह पर एक तेज कोरोनियल लहर यानी सौर लपट दिखाई दी थी। उन्होंने अंदेशा जताया है कि सूर्य पर अब तेज सौर तूफान आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य हलचल बढ़ने का भी अनुमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ महीने से सूर्य की रोशनी हल्की पड़ गई थी। अब जब सूर्य का नया साइकिल शुरू हुआ है, तो ये तेज रोशनी, लपटें आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा।

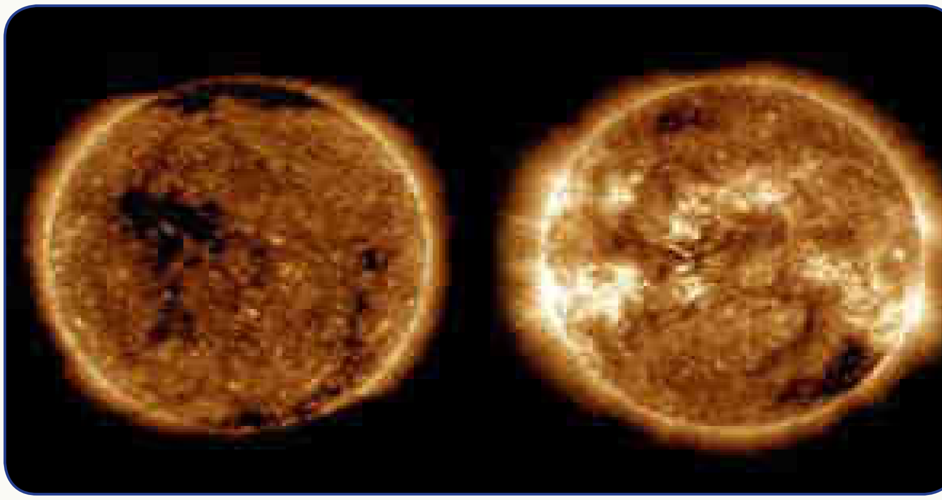

सौर चक्र

- सूर्य की सतह एक बहुत ही सक्रिय स्थान है। इसकी सतह पर विद्युत आवेशित गैसें शक्तिशाली चुंबकीय बलों के क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये गैसें लगातार चलती रहती हैं। इस प्रकार, ये चुंबकीय क्षेत्र सौर गतिविधि के रूप में ज्ञात सतह पर खिंचाव या दबाव के कारण गति प्राप्त करते हैं। सौर गतिविधि सौर चक्र के विभिन्न चरणों को दर्शाती है, जो औसतन 11 वर्षों तक चलती है। सौर चक्रों का पृथ्वी पर जीवन और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष महत्व है।

सनस्पॉट

- वैज्ञानिक सूर्य के स्थानों का उपयोग करके एक सौर चक्र का पता लगाते हैं। ये सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो सौर गतिविधि से जुड़े होते हैं। सनस्पॉट सूर्य पर एक क्षेत्र है जो सतह पर गहरा दिखाई देता है और आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा है। ये धब्बे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के दृश्यमान सतह हैं। कुछ धब्बे 50,000 किमी व्यास से भी बड़े होते हैं।

कितना पुराना है सूर्य

- मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के मुताबिक सूर्य की सतह पर बनने वाले सोलर स्पॉट अध्ययन में उनकी काफी मदद करते हैं। इसके आधार पर उन्होंने पता लगाया कि सूर्य पिछले कुछ हजार सालों से शांत है, क्योंकि सोलर स्पॉट में कमी आई है। उन्होंने सूरज की तुलना 2500 तारों से भी की थी। अभी तक के अध्ययन में सूर्य को 4.6 बिलियन साल पुराना बताया गया है।

03 पशुओं में ब्रुसेल्लोसिस रोग

चर्चा में क्यों

- डेयरी उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाने वाले ब्रुसेलोसिस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हाल ही मे भारत सरकार के अनुसंधान निकाय आईसीएआर-आईवीआरआई ने हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड के साथ मिलकर एक नई पीढ़ी का टीका विकसित करने की तकनीक हासिल कर ली है। विदित हो कि हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड, नेब्रुकेला एबोर्टस एस-19 डेल्टा वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएआर-आईवीआरआई से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।''

परिचय

- ब्रुसेल्लोसिस, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शुकर एवं कुत्तों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ये एक जीव जनति (Zoonotic) बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों एवं मनुष्यों से पशुओं में फैलती है। इस बीमारी से ग्रस्त पशु 7-9 महीने के गर्भकाल मे गर्भपात हो जाता है। ये रोग पशुशाला में बड़े पैमाने पर फैलता है तथा पशुओं में गर्भपात के लिए जिम्मेदार होता है जिससे भारी आर्थिक हानि होती है। ये बीमारी मनुष्य के स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण बमारी है। विश्व स्तर पर लगभग 5 लाख मनुष्य हर साल इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं।

कारण

- गाय, भैंस में ये रोग ब्रुसेल्ला एबोरटस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये जीवाणु गाभिन पशु के बच्चेदानी में रहता है तथा अंतिम तिमाही में गर्भपात का कारण बनता है। एक बार संक्रमित हो जाने पर पशु अपने पूरे जीवन काल तक इस जीवाणु को अपने दूध तथा गर्भाशय के स्त्राव से बाहर निकालता है।

संक्रमण का मार्ग

- पशुओं में ब्रुसेल्लोसिस रोग संक्रमित पदार्थ के खाने से, जननांगों के स्त्राव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्पर्क से, योनि स्त्राव से संक्रमित चारे के प्रयोग से तथा संक्रमित वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा फैलता है। मनुष्यों में ब्रुसेल्लोसिस रोग सबसे ज्यादा रोगग्रस्त पशु के कच्चे दूध पीने से फैलता है। कई बार गर्भपात होने पर पशु चिकित्सक या पशु पालक असावधानी पूर्वक या गर्भाश्य के स्त्राव को छूते है, जिससे ब्रुसेल्लोसिस रोग का जीवाणु त्वचा के किसी कटाव या घाव से शरीर में प्रवेश कर जाता है।

लक्षण

- पशुओं में गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में गर्भपात होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। पशुओं के गर्भाशय में सूजन एवं नर पशुओं में अंडकोष में सूजन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। पैरों के जोड़ों पर सूजन आ जाती है जिसे हाइग्रोमा कहते हैं। मनुष्य को इस रोग में तेज बुखार आता है जो बार बार उतरता और चढ़ता रहता है तथा जोड़ों और कमर में दर्द भी होता रहता है।

निदान

- इस रोग से बचने के लिए स्वच्छता का अत्यधिक ध्यान रखना होगा, पशुओं को संक्रमण से बचाना होगा, समय-समय पर उनकी देख-रेख करना होगा। मनुष्यों में यह बीमारी न फैले इसके लिए आवश्यक है कि कच्चे दूध का सेवन न किया जाय तथा संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से बचना चाहिए।

04 विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020

चर्चा में क्यों

- हाल ही में लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 पास हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में संशोधन करना है।

संशोधन के मुख्य प्रावधान

- संशोधन अधिनियम के द्वारा , कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषेध कर दिया गया है। इसमें चुनावी उम्मीदवार ,समाचार पत्रों के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी विधायिका के सदस्य, तथा राजनीतिक दल सम्मिलित हैं।
- विधेयक इस सूची में लोक सेवकों (भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित) को जोड़ता है। लोक सेवक की श्रेणी में वह व्यक्ति शामिल होता है जो सरकार की सेवा में होता है, तथा सरकार द्वारा उसे किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है।
- अधिनियम के तहत, विदेशी योगदान को किसी व्यक्ति को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत नहीं किया जाता है। यदि व्यक्ति प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो उसे केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अधिनियम के तहत व्यक्ति शब्द में एक व्यक्ति, एक एसोसिएशन या एक पंजीकृत कंपनी शामिल है।
- अधिनियम में कहा गया है कि पंजीकृत होने या अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, किसी संस्था को अपने पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख अधिकारियों की आधार संख्या प्रदान करनी होगी। विदेशी निकाय होने की स्थिति में उन्हें पहचान के लिए पासपोर्ट या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की एक प्रति प्रदान करनी होगी।
- अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति को केवल उनके द्वारा निर्दिष्ट एक निर्धारित बैंक की एक शाखा में विदेशी योगदान को स्वीकार करना होगा। हालांकि, वे योगदान के उपयोग के लिए अन्य बैंकों में अधिक खाते खोल सकते हैं।
- विधेयक में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखा में बैंक द्वारा एफसीआरए खाता के रूप में निर्दिष्ट खाते में केवल विदेशी अंशदान प्राप्त किया जाना चाहिए।
- विदेशी योगदान के अलावा कोई धन इस खाते में प्राप्त या जमा नहीं किया जाना चाहिए। प्राप्त योगदान को रखने या उपयोग करने के लिए व्यक्ति अपनी पसंद के किसी

भी अनुसूचित बैंक में एक और एफसीआरए खाता खोल सकता है।

- यदि किसी व्यक्ति ने (जिसने विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त की हो) नियमों का उलंघन किया हो तो केंद्र सरकार उनके पंजीकरण को रद्द करने की क्षमता रखती है।
- अधिनियम के तहत, हर व्यक्ति को, जिसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है, पंजीकरण समाप्ति के छह महीने के भीतर प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करना होगा।
- विधेयक उपबंध करता है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने से पहले एक जांच का आयोजन कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यक्ति धार्मिक रूपांतरण में, धन के विचलन या धन के दुरुपयोग के लिए दोषी नहीं पाया गया हो।
- अधिनियम के अंतर्गत, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को केवल उसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना चाहिए जिसके लिए योगदान प्राप्त होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निकाय उस राशि के 20% (संशोधन पूर्व 50%) का उपयोग ही प्रशासनिक व्यय हेतु कर सकता है।
- विधेयक केंद्र सरकार को एक व्यक्ति को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को समर्पण करने की अनुमति देने के लिए एक प्रावधान जोड़ता है।
- अधिनियम के तहत, सरकार किसी व्यक्ति के पंजीकरण को 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निलंबित कर सकती है। इस तरह के निलंबन को अतिरिक्त 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है

इस विधेयक से संबन्धित विवाद

- प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए विदेशी निधियों के उपयोग को सीमित करने संबंधी प्रावधान। यह प्रावधान अनुसंधान और पक्षसमर्थन संगठनों के प्रशासनिक कार्यों संबंधी लागतों को प्रभावित करेगा।
- FCRA द्वारा अनुमोदित संस्थाओं के लिए 'अनप्रयुक्त विदेशी अनुदान राशि को प्रयोग करने अथवा शेष विदेशी अनुदान को प्राप्त करने से रोकने के लिए' केंद्र सरकार को अविलंबित जांच करने की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रावधान है।

05 प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)

चर्चा में क्यों

- केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के अक्टूबर 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। यह भारत के तीन चरण वाले नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश का सूचक है। इसके पूरा होने पर, PFBR राष्ट्रीय ग्रिड से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

क्या है पीएफबीआर

- ब्रीडर रिएक्टर वह होता है जिसमें परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर दोबारा इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इस रिएक्टर में जितना ईंधन डाला जाता है उससे ज्यादा ऊर्जा उससे वापस मिल जाता है। पीएफबीआर में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है।

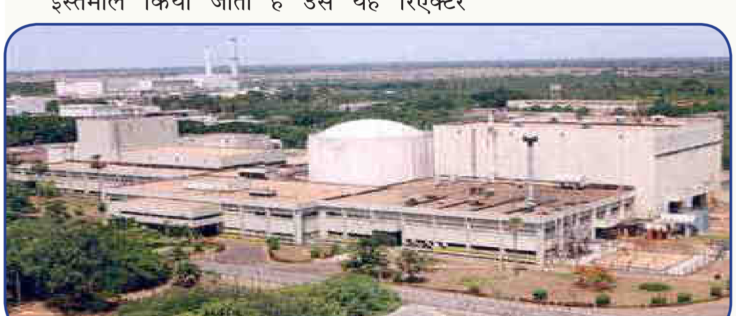

परिचय

- डा. होमी भाभा द्वारा 1950 के दशक में देश की दीर्घावधिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इसे तैयार किया गया था। इसमें दक्षिण भारत के समुद्रतटीय क्षेत्रों की मोनाजाईट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम के भंडारों का उपयोग किया जाना है। विदित हो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक तीन चरणीय कार्यक्रम है:
- भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के प्रथम चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पीएचडब्ल्यूआर तकनीक में मंदक या शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है।
- परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के द्वितीय चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया गया। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रथम चरण में प्रयुक्त ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण से प्राप्त प्लूटोनियम-239 और प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है। इस रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है।
- इसके अलावा तीसरे चरण के रिएक्टर में थोरियम-233 तथा यूरेनियम-233 ईंधनों का प्रयोग करना शामिल है, जिससे परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। तीसरे चरण के परमाणु रिएक्टर ब्रीडर रिएक्टर होंगे जिन्हें पुनः ईंधन से भरा जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि आज भारत सोची समझी रणनीति के तहत फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टरों पर महारत हासिल कर रहा है। यह महारत थोरियम के अपार भंडारों के इस्तेमाल में मददगार हो सकती है।

06 विश्व गैंडा दिवस

चर्चा में क्यों

- प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व गैंडा दिवस (World Rhino Day) मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से गैंडे की पाँच प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह पाँच प्रजातियाँ हैं- काला, सफेद, एक श्रृंगी सुमात्रा और जावा राइनों।

परिचय

- विश्व गैंडा दिवस की सर्वप्रथम घोषणा वर्ष 2010 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी।
- भारत में इस दिन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम), मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम) और लाओखोवा बुराचपोरी (असम) में जागरूकता कार्यक्रमों को चलाया गया।

वर्तमान स्थिति

- सेव द राइनो संगठन के अनुसार वर्तमान में विश्व में 29000 गैंडे हैं। यह संख्या वर्ष 1970 में 70000 थी। इनमे से काले गैंडों की संख्या 5055, सफेद गैंडों की संख्या 20405, एक श्रृंगी गैंडों की संख्या 3333, सुमात्रा गैंडों की संख्या 100 और जावा गैंडों की संख्या 61 है। इसके अतिरिक्त ओएल पेजेता कन्जर्वेसी केन्या में 'सूडान' नाम का सिर्फ एक सफेद गैंडा है।
- भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले 3000 गैंडे हैं। भारत में सबसे अधिक गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि इस समय भारत में एक सींग और विशाल आकार वाले गैंडों की कुल संख्या की 75 प्रतिशत तीन प्रमुख राज्यों असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं।
- गैंडों की आबादी की गणन समय-समय पर राज्य सरकारी द्वारा कराई जा रही है। गैंडों की वर्तमान प्रजाति को संरक्षित करने के लिए प्रयास जारी है। साथ ही इंडियन राइनों विजन (आईआरवी) 2020 कार्यक्रम के तहत इस प्रजाति का वितरण बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।
- विश्व धरोहर स्थल मानस राष्ट्रीय पार्क में एक वन से दूसरे वन में गैंडों के आदान-प्रदान का प्रयास सफल रहा है। एक सींग वाले गैंडों को रिकवरी का कार्यक्रम के तहत उन 21 प्रजातियों में शामिल किया है, जो खतरे में हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने एक सींग वाले भारतीय गैंडों की संख्या बढ़ाने के लिए भी राष्ट्रीय संरक्षण नीति का आरंभ किया है। इसके तहत वैज्ञानिक विधि भी अपनाई जाएगी।
- मंत्रालय असम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मदद से नई दिल्ली घोषणा पत्र के अनुरूप वह सभी कदम उठा रहा है जो 26-28 फरवरी 2019 को हुए दूसरे एशियाई राज्य संरक्षण सम्मेलन में तय किए गए थे। इस सम्मेलन में भारत के अलावा भूटान मलेशिया, नेपाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

07 फिट इंडिया मूवमेंट

चर्चा में क्यों

- हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट (Fit India Movement) की पहली वर्षगांठ मनायी गयी। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने फिट्नेस के भिन्न-भिन्न आयामों के बारे में अपने अनुभव शेयर किये।

फिट इंडिया मूवमेंट

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट या अभियान की शुरुआत की थी।
- सभी देशवासियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु इस अभियान को शुरू किया गया था।

उद्देश्य

- फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को रोजमर्रा के जीवन में फिट

रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिये प्रेरित करना है।

प्रगति

- फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना काल में भी सिद्ध करके दिखाया है।
- एक साल के भीतर ही यह मूवमेंट आफ पीपल (movement of people) और मूवमेंट आफ पाजिटीविटी (movement of positivity) भी बन चुका है।
- देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर निरंतर जागरूकता भी बढ रही है । योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्वीमिंग तथा स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'आहार, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति' (Global strategy on Diet] physical activity and health) बनाई है। वैश्विक स्तर पर शारीरिक गतिविधियों हेतु कई तरह की अनुशंसाएँ (recommendation) भी जारी की गयी हैं।
- आज दुनिया के अनेक देशों ने फिटनेस को लेकर नए लक्ष्य बनाए हैं और उन पर अनेक मोर्चों पर वो काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में इस समय बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

t

01

03

05

01 बैंको का निजीकारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के समस्याओं का समाधान माना जाता है। इस तथ्य का समालोचनात्मक व्याख्या करें।

02 'डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट' (DFFT) क्या है? भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए यह किस तरह से प्रासंगिक है?

03 भारत-चीन सीमा विवाद को संक्षेप में समझाइये। भारत-चीन की भू राजनीतिक परिदृश्य में सभी क्वाड देशों की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

04 हाल ही में लोक सभा द्वारा पारित कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020 को समझाइए। यह विधेयक किस प्रकार किसानों के हितों को प्रभावित करेगी?

05 कौशल विकास से संबन्धित चुनौतियों को बतायें। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालिये।

06 वर्तमान भारत की ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त आर्थिक चुनौतियों की चर्चा कीजिए। साथ ही यह भी बतायें कि भारत के आर्थिक विकास में ग्रामीण क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती हैं?

07 भारत मे बाढ़ एक आवर्ती घटना हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01 हाल ही में एस पी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया वो किससे संबंधित थे?

प्लैबैक सिंगर

02 किस राज्य सरकार ने यू-राइज नामक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है?

उत्तर प्रदेश

03 हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने आर्टेमिस प्रोगाम की रूपरेखा प्रकाशित की है?

नासा

04 किस देश में 450 से अधिक पायलट व्हेलों की मृत्यु हो गई?

आस्ट्रेलिया

05 विश्व जोखिम सूचकांक-2020 में भारत का स्थान क्या है?

89वाँ

06 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया?

अच्युतन नंबूदरी

07 किस द्वीप को दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है?

न्यू गिनी

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06

01 "सच्ची शिक्षा के दो लक्ष्य हैं; एक बुद्धिमत्ता दूसरा चरित्र।"

मार्टिन लुथर किंग

02 "अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित करते हैं; लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।"

ब्रिघम यंग

03 "बच्चों को सिखाईये कि कैसे सोचा जाये, न कि क्या सोचा जाये।"

मार्गरेट मीड

04 "एक सेना द्वारा आक्रमण के खिलाफ एक अध्ययन किया जा सकता है; एक विचार द्वारा आक्रमण के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं बनाया जा सकता है।"

विक्टर ह्युगो

05 "परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है।"

लियो बुस्काग्लिया

06 कभी भी जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए।

बेंजामिन फ्रैंकलिन

07 "जीवन में बस वही वास्तविक असफलता है जिससे आपने सीख नहीं ली।"

अन्थोनी जे. डी' एंजिलो

ध्येय IAS

most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evident from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. [illegible] Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. [illegible]

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros for economic or family reasons but have ardent desire to become a civil servant. [illegible]

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 9591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD – 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BARELLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

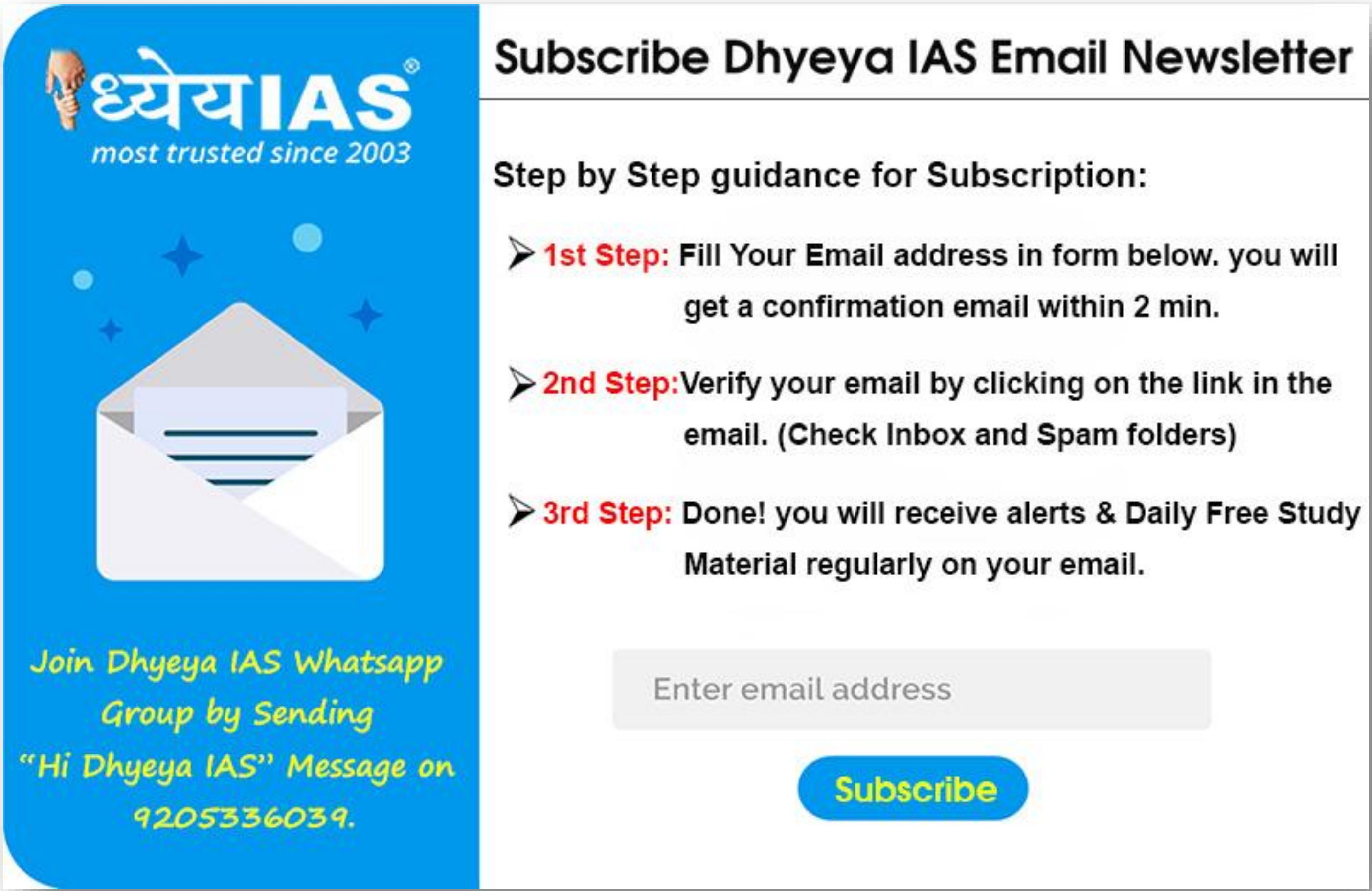

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com